रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 1992/भाद्र 13, 1914
No. 35] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 1992/BHADRA 13, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दि इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सैक्रटरीज आफ इण्डिया

(कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1992

फाइल सं. 104/20/एकाएक्स :—31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष की दि इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सैक्रटरीज आफ इण्डिया की परिषद की बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट।

1. प्रस्तावना :

कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 18(5) के अनुसरण में दि इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सैक्रटरीज आफ इण्डिया की परिषद की 31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष की बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट और इस अवधि के लेखों के परीक्षित विवरण तथा उन पर इंस्टीट्यूट के कामकाज की लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। उक्त वर्ष की 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष में इंस्टीट्यूट की महत्वपूर्ण गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।

2. नई घटनाएं :

2.1 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सरकार द्वारा साहसी और नई क्रान्तिकारी नीतियों को अपनाने के कारण हमारे देश में अत्यन्त महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। सरकार ने विनियमों को हटाने और अपवाद रूप में ही नियंत्रण रखने और व्यावसायिक व्यक्तियों पर अधिक भरोसा करने पर जोर दिया है। इस प्रसंग में, व्यापार, उद्योग और सरकार में व्यवसायों से जुड़े व्यक्तियों की भूमिका का बढ़ना अनिवार्य है, जिससे बहुत हद तक सार्वजनिक हित पूरा होगा। इंस्टीट्यूट विवेकपूर्ण व्यावसायियों पर भरोसा रखते हुए अपवाद रूप में ही नियंत्रण रखने की संकल्पना का आग्रह करता रहा है। हाल में जो उदारीकरण के उपाय

किये गए हैं, वे इस विषय में इंस्टीट्यूट की विचार-धारा का ही परिणाम है ।

2.2 परिस्थिति संदर्भ में यह संतोष की बात है कि इस वर्ष सचिवीय लेखापरीक्षा को और गति प्राप्त हुई है तथा राज्य स्तर के वित्तीय संस्थानों ने इसे और अधिक स्वीकार किया है । जून 1991 में गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लि., अहमदाबाद, ने अपनी ऐसी सभी कम्पनियों में वार्षिक सचिवीय लेखापरीक्षा आरंभ कर दी है, जिन्हें वह सहायता देता है और जिनमें पूर्णकालिक कम्पनी सचिव नहीं है, और अगस्त, 1991 में अरुणाचल प्रदेश औद्योगिक विकास तथा वित्त निगम लि., नाहरलागुन निगम ने भी अपनी उन कम्पनियों की वार्षिक सचिवीय लेखापरीक्षा निर्धारित कर दी है जिन्हें वह सहायता देती है । इस बारे में कुछ अन्य राज्य स्तर के औद्योगिक/वित्तीय संस्थानों ने भी अभ्यावेदन किया है और इनमें से कुछ संस्थान इस बात की व्यवहारिता पर विचार कर रहे हैं कि क्या उनसे सहायता-प्राप्त कम्पनियों के साथ किये जाने वाले ऋण-करार में इस तरह की लेखा-परीक्षा की प्रसंविदा आरम्भ की जा सकती है । परिषद केन्द्रीय सरकार पर भी जोर दे रही है कि जिन कम्पनियों में कम्पनी सचिव नियुक्त कर अनिवार्यतः बाध्यकारी नहीं है, उनमें पूर्णकालिक व्यवसायरत कम्पनी सचिव द्वारा सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट आरम्भ करने के लिये कम्पनी अधिनियम, 1956 को संशोधित किया जाये ।

2.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत इस व्यवसाय में प्रेक्टिस करने के लिये एक और मान्यता प्राप्त हुई है । मार्च 1992 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने विनिमय नियंत्रण विनियमों के अधीन विभिन्न प्रमाणपत्र जारी करने के लिये पूर्णकालिक व्यवसायरत कम्पनी सचिवों को मान्यता प्रदान कर दी है ।

2.4 जैसाकि सदस्यों को मालूम है, इंस्टीट्यूट इस व्यवसाय में कार्यरत सदस्यों को ऐसी कम्पनियों के बोर्डों में निदेशक मनोनीत करने का जोरदार प्रयास करती रही है, जिन्हें वित्तीय संस्थान और औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड सहायता देते हैं । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने उससे सहायता-प्राप्त कम्पनियों के बोर्डों में सदस्यों को मनोनीत करने पर विचार करने के लिये सहमति दे दी है । बैंकिंग डिवीजन, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुरोध पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बोर्डों में निदेशक के रूप में नामिती नियुक्त किये जाने के लिये इस व्यवसाय के वरिष्ठ सदस्यों की सूची उसे भेज दी गई है ।

2.5 जब से भारतीय प्रत्याभूति और विनिमय बोर्ड स्थापित हुआ है, जो पूंजी बाजारों के कामकाज की नियंत्रणकारी संस्था है, तभी से इंस्टीट्यूट इस बोर्ड के साथ पारस्परिक परामर्श और संगम बनाये हुए है इस बोर्ड को हमारे व्यवसाय से कई क्षेत्रों में व्यावसायिक सहायता की आवश्यकता होगी जैसे कम्पनी के विवरण-पत्र में प्रकटन तथा अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना, शेयर पूंजी का निर्गमन, शेयरों का अन्तरण और पारेषण आदि ।

3. परिषद् :

3.1 परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन

तीसरी निर्वाचित परिषद की तीन वर्ष की कार्यविधि 31-12-91 को समाप्त हो गई । कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में परिषद के चौथे चुनाव वर्ष 1991 की अन्तिम तिमाही में सुचारू रूप से सम्पन्न हुए तथा निम्नलिखित 12 कैलो सदस्य परिषद के लिये निर्वाचित घोषित किये गये :

पूर्वी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्र

1. ए.के. सेन
2. महेश शाह

उत्तरी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र

1. यू.के. चौधरी
2. ओ.पी. दानी
3. हरीश के. चैद

दक्षिणी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र

1. टी.वी. पद्मनाभन
2. एम.एस. रायवन
3. पी.टी. रंगामणि

पश्चिमी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र

1. विपिन एस. आचार्य
2. के.आर. चन्द्राने
3. ए.के. मोदी
4. प्रमोद एस. शाह

3.2 सरकारी नामिती

कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में केन्द्रीय सरकार को चार सदस्य मनोनीत करने की प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने चौथी निर्वाचित परिषद की तीन वर्ष की 31 दिसम्बर 1994 तक की अवधि के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों को मनोनीत किया :—

1. सुधा पिल्लई (1-1-1992 से)
2. सी. शिवशंकरन (27-1-1992 से)
3. जे. श्रीधरन (—वही—)

4. डी. पुरनैया (27-1-92 से)

3.3 परिषद का गठन

1 जनवरी, 1992 से नई परिषद का गठन यथावत हो गया है। इस तारीख से सभी निर्वाचित सदस्यों ने अपना पदभार संभाल लिया है और इस रिपोर्ट की तारीख तक वे पद पर बने रहे हैं।

3.4 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

1 जनवरी, 1992 को हुई बैठक में एन.जे.एन. वजीफदार ने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। 1 जनवरी, 1992 से एक वर्ष के लिये पी.टी. रंगामणि अध्यक्ष और महेश शाह उपाध्यक्ष चुन लिये गये। परिषद 1991 के दौरान श्री एन.जे. एन. वजीफदार द्वारा इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में की गई मूल्यवान सेवाओं की सराहना करती है।

3.5 बैठकें

परिषद ने इस वर्ष में छः बैठकें रखीं।

3.6 समितियां आदि

परिषद ने तीन स्थायी और पांच अन्य समितियां गठित कीं। इसके अलावा परिषद ने अपनी सहायता के लिये विभिन्न विशेषज्ञ-ग्रुप और सलाहकार बोर्ड गठित किये। इनकी संरचना रिपोर्ट के परिशिष्ट 'क' में दी गई है।

4. क्षेत्रीय परिषदें और शाखाएं :

4.1 क्षेत्रीय परिषदें

तीन वर्ष के लिए गठित तीसरी निर्वाचित क्षेत्रीय परिषदों का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 1991 को समाप्त हो गया। परिषद के चुनावों के साथ-साथ सभी चार क्षेत्रीय परिषदों के चौथे चुनाव 1991 की अंतिम तिमाही में हुए। 1 जनवरी, 1992 से तीन वर्ष के लिए तीन नई क्षेत्रीय परिषदें (पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद) यथावत गठित हो गईं, जबकि चौथी क्षेत्रीय परिषद (पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद) का गठन 7 जनवरी, 1992 से हुआ।

4.2 परिषद द्वारा अपने कार्यों में सहायता के लिए गठित चार क्षेत्रीय परिषदों में इस वर्ष सुचारू रूप से काम चलता रहा। इन परिषदों ने सम्मेलन, सेमिनार और बैठकें आयोजित कीं, विद्यार्थियों के लिए मौखिक शिक्षण और सचिवीय माड्यूलर परामर्श, नियमित रूप से समाचार बुलेटिनों के प्रकाशन तथा अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली शाखाओं को सहायता प्रदान करने जैसी सेवाओं को सम्पन्न किया। क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं की गतिविधियां इनके 'न्यूज-लेटरों' और चार्टर्ड सेक्रेटरी में नियमित रूप से प्रकाशित होती रही हैं। 31 मार्च, 1992 को प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग क्षेत्रीय परिषदों की आरक्षण निधि और अधिशेष तथा इनके सदस्यों और विद्यार्थियों की संख्या की स्थिति इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "ख" में दी गई है।

4.3 शाखाएं

चार क्षेत्रीय परिषदों के क्षेत्राधिकार के अधीन गठित 34 शाखाओं ने विद्यार्थियों की शिक्षा और प्रशिक्षण तथा सदस्यों के व्यावसायिक विकास संबंधी स्थानीय गतिविधियां आयोजित कीं।

5. सदस्य :

5.1 सदस्यता

इस वर्ष 611 व्यक्तियों को एसोसिएट सदस्य और 246 एसोसिएट सदस्यों को फैलो सदस्यों के रूप में प्रवेश दिया गया। 31 मार्च, 1992 को इंस्टीट्यूट के रजिस्टर में 8307 सदस्य दर्ज थे, जिनमें 6394 एसोसिएट तथा 1943 फैलो सदस्य थे। 31 मार्च, 1992 को विदेश में रहने वाले सदस्यों की संख्या 183 थी। समीक्षाधीन वर्ष में वार्षिक फीस की अदायगी न करने, मृत्यु अथवा त्यागपत्र देने के कारण 170 सदस्यों के नाम रजिस्टर में से काट दिए गए जिनमें 24 फैलो और 146 एसोसिएट सदस्य थे।

5.2 सदस्यों में वृद्धि

प्रति वर्ष सदस्यों की संख्या में वृद्धि और प्रेक्टिस प्रमाणधारी सदस्यों के बारे में आंकड़ों को परिशिष्ट 'ग' में दी गई है।

5.3 सदस्यों की सूची

नियम 161 के साथ पठनीय कम्पनी सचिव अधिनियम, 1981 (विनियम) की धारा 19 (3) के अनुसरण में 1 अप्रैल, 1992 को सदस्यों की एक पूरी सूची प्रकाशित कर दी गई है जो सदस्यों को उनके अनुरोध पर सप्लाई की जाएगी।

5.4 प्रेक्टिस प्रमाण-पत्र

इस वर्ष 105 सदस्यों को प्रेक्टिस के लिए प्रमाण-पत्र जारी किए गए। 31 मार्च, 1992 को 1102 सदस्यों के पास प्रेक्टिस प्रमाणपत्र थे, जबकि 31 मार्च, 1991 को यह संख्या 1133 थी। 209 सदस्यों के प्रमाणपत्र वार्षिक फीस न देने, मृत्यु या अन्य कारणों से अयोग्य हो जाने के कारण रद्द कर दिए गए। जैसा कि पिछली रिपोर्ट में कहा था जून 1991 से ऐसे सदस्यों को प्रेक्टिस प्रमाण-पत्र जारी करना बन्द कर दिया है जो नियोजन में हैं और जो सदस्य पहले ही नियोजन में हैं, 31 मार्च, 1992 के बाद उनके प्रेक्टिस प्रमाण-पत्रों का नवीकरण नहीं किया जाएगा, यदि वे नियोजन में बने रहते हैं।

5.5 व्यावसायिक कम्पनी सचिव की गाइड

इंस्टीट्यूट के प्रकाशन 'ए' गाइड टू कम्पनी सेक्रेटरी इन प्रेक्टिस का संशोधन किया गया और समीक्षाधीन वर्ष में एक नया संस्करण प्रकाशित किया

5.6 सदस्यों से संबंधित अनुशासनिक मामले

समीक्षाधीन वर्ष में सदस्यों के विरुद्ध कदाचार के आरोपों की शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखने को मिली है। परिषद ने इन विभिन्न शिकायतों पर अपनी बैठकों में पर्याप्त समय तक विचार करने के बाद कुछ मामले जांच के लिए अनुशासनिक समिति को भेज दिए। परिषद ने सदस्यों द्वारा व्यवसाय से संबंधित या अन्य किसी प्रकार के कदाचार को बहुत गम्भीर माना है। परिषद ने यह भी तय किया कि सदस्यों से संबंधित सभी अनुशासनिक मामलों का संक्षिप्त ब्यौरा सदस्यों की सूचना के लिए मासिक पत्रिका 'चार्टर्ड सेक्रेटरी' में प्रकाशित किया जाए।

6. व्यावसायिक विकास और अनवरत शिक्षा कार्यक्रम :

6.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इंस्टीट्यूट ने अपने सदस्यों के व्यावसायिक विकास के लिए प्रयास जारी रखे। छः कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका ब्यौरा इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "घ" में दिया गया है। इंस्टीट्यूट ने पी.एच.डी. चैम्बर आफ कामर्स, लघु उद्योग क्षेत्र के भावी वर्तमान उद्यमियों के लिए आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ भी अपने को सम्बद्ध किया।

6.2 कम्पनी सचिव का रेखाचित्र प्रस्तुत करने के लिए 30 मिनिट की अवधि की एक वीडियो फिल्म तैयार की गई है, जिसमें इस व्यवसाय की भूमिका, सुसंगतता और उपयोगिता को उजागर किया है ताकि भावी नियोक्ता/उपयोक्ता संगठन इससे लाभ उठा सकें। यह फिल्म कैरियर संबंधी परामर्श देने के लिए क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं को भी भेजी गई हैं।

7. प्रकाशन :

7.1 चार्टर्ड सेक्रेटरी

पिछले 22 वर्षों से प्रकाशित हो रही इंस्टीट्यूट की प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका 'चार्टर्ड सेक्रेटरी' ने लगातार अपनी प्रतिष्ठा, गुणवत्ता और मुस्तैदी बनाए रखी। इसमें सरकारी अधिसूचनाएं, कानूनी निर्णयों और लेखों सहित आवश्यक सूचना दी जाती रही है। जून 1991 के अंक के साथ एक अनुपूरक अंक भी संलग्न किया गया, जिसका विषय था – कम्पनी विधि विनियम, 1991। सितम्बर 1991 का विशेषांक 1991–92 के केन्द्रीय बजट पर था। सितम्बर 1991 के अंक में ही अनुपूरक सामग्री के रूप में इंस्टीट्यूट की 11वीं वार्षिक रिपोर्ट (1990–91) भी प्रकाशित की गई।

7.2 मार्गदर्शी नोट्स

तेजी से बदलते जा रहे आर्थिक दृश्य के परिप्रेक्ष्य में किसी भी व्यवसाय को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए यह अत्यंत अनिवार्य है कि वह अपने क्षेत्र का ज्ञान अद्यतन रखे और निरन्तर हर संभव प्रयास रहे कि निरन्तर बढ़ती हुई मांग के साथ उसकी कुशाग्र बुद्धि तदनुरूप बन सके। कम्पनी सचिव के व्यवसाय को निगम जगत में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखने के साथ यह प्रयास भी सदैव किया गया है कि सदस्य इस व्यवसाय के आचरण और नैतिकताओं के उच्चतम मानकों को अपनाएं। कम्पनी सचिवों द्वारा अपने व्यावसायिक उत्तरदायित्वों को प्रभावकारी ढंग से निभाने के लिए इंस्टीट्यूट मार्गदर्शी नोट्स प्रकाशित करता रहा है। समीक्षाधीन वर्ष में निम्नलिखित विषयों पर मार्गदर्शी नोट्स प्रकाशित किए गए :

(क) सचिवीय लेखापरीक्षा

(ख) कम्पनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए जाने वाले दस्तावेजों का पूर्व प्रमाणीकरण।

7.3 ब्रोशर्स

कुछ क्षेत्रों में कम्पनी सचिव को आज भी केवल 'कम्पनी विधि सचिव' समझा जाता है। अतः निगम क्षेत्र में कम्पनी सचिव की उन अनेक और व्यापक सेवाओं के और अधिक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता महसूस की गई है जो एक व्यवसायरत कम्पनी सचिव अपनी सेवाएं दे सकता है, आवश्यक है कि छोटे उद्यमियों को उनके संगठन के कामकाज के प्रबन्ध में कम्पनी सचिव की उपयोगिता तथा विभिन्न कानूनी उपबन्धों की अपेक्षाओं के अनुपालन में उसकी उपयोगिता की जानकारी उन्हें मालूम हो। इस दृष्टि से कम्पनी सचिव की भूमिका के बारे में दो ब्रोशरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है :

(क) "प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिव"—इसमें निगम प्रबंध सरकारी और सामान्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र, उन नये कम्पनी सचिव की सेवाओं का प्रभावकारी रूप से उपयोग किया जा सकता है, की जानकारी देने का लक्ष्य है।

(ख) "लघु और अतिलघु क्षेत्र के लिए कम्पनी सचिव" इसमें लघु और अति लघु क्षेत्र में उन सेवाओं का विवरण होगा जो कम्पनी सचिव दे सकता है।

7.4 कम्पनी सचिवीय प्रेक्टिस की हस्तपुस्तिका खुले पन्नों वाली कम्पनी सेक्रेटरीज हैण्डबुक का कार्य चल रहा है; इसमें मूल विधि और व्यावहारिक टिप्पणियां दोनों को शामिल करने का इरादा है तथा यह कम्पनी लॉ के विभिन्न पहलुओं और उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम; प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम; विदेशी मुद्रा अधिनियम; आयकर अधिनियम और एम आर टी पी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों पर एक प्रामाणिक संदर्भ हस्तपुस्तिका का काम करेगी। किन्तु सरकार द्वारा उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप हाल में ही अनेक संशोधन हुए और अभी बहुत से संशोधन हो रहे हैं; इस कारण फिलहाल मेनुअल के प्रकाशन को अन्तिम रूप देने का काम मुल्तवी कर दिया है।

7.5 निवेशक मार्गदर्शी माला

पूंजी बाजार की जटिलताओं को न समझने वाली निवेशक और निवेशक के अधिकार तथा किसी प्रकार की शिकायत होने पर उपलब्ध उपचार आदि के बारे में सामान्य निवेशक को शिक्षित करने के अपने लगातार प्रयासों के इंस्टीट्यूट ने इस वर्ष एक तीसरी पुस्तक "इंवेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग वाइ ए ले इन्वेस्टर" प्रकाशित की है। इन पुस्तिकाओं की महत्ता और अधिक से अधिक निवेशकों के वर्गों को इन्हें उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव है कि इनका अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में कराया जाए। इस बारे में कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है और निम्नलिखित तीनों पुस्तकों को गुजराती और हिन्दी में अनुवाद के लिए अद्यतन और संशोधित किया जा रहा है :

(क) लॉ एंड प्रोसीजर फार ट्रांसफर ऑफ शेयर्स लिस्टेड आन ए रिकोग्नाइज्ड स्टाक एक्सचेंज;

(ख) लॉ एंड प्रोसीजर फार कम्पलसरी रिपेमेण्ट आफ कम्पनी डिपाजिट्स; और

(ग) इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग वाइ ए ले इन्वेस्टर।

निवेशक शिक्षा माला के अन्तर्गत कुछ अन्य क्षेत्रों में भी पुस्तकें प्रकाशित करने का प्रस्ताव है---जैसे प्रत्याभूतियों का सार्वजनिक निर्गमन, पूंजी बाजार, म्युचुअल फंड आदि।

7.6 अन्य प्रकाशन

इस समय अध्ययन, अनुसंधान और प्रकाशन निदेशालय "लेखा परीक्षकों की अर्हताएं तथा निदेशकों की रिपोर्टों में उनके उत्तर" विषय पर अनुसंधान अध्ययन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। यह अध्ययन बड़े व्यापक रूप में किया गया है तथा इसमें विभिन्न वर्गों के निवेशकों, व्यावसायियों और वित्तीय विशेषज्ञों की टिप्पणियां समाविष्ट की हैं तथा अनुसंधान अध्ययन की सिफारिशों में सुझाव भी शामिल किए गए ताकि लेखापरीक्षकों की अर्हताओं से संबंधित उपबन्धों का प्रकटन और अनुपालन बेहतर ढंग से सुनिश्चित हो सके।

8. विशेषज्ञ सलाहकार ग्रुप :

कम्पनी विधि, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, प्रत्याभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम और पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) अधिनियम संबंधी जटिल समस्याओं पर सदस्यों को विशेष सलाह प्रदान करने के लिए भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में पहले गठित विशेषज्ञ सलाहकार ग्रुप ने इस वर्ष अपना कार्य करना जारी रखा।

9. विशेषज्ञों का कोर ग्रुप :

9.1 इस वर्ष सरकार स्टाक एक्सचेंजों, सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा गठित समिति अध्ययन समूहों से उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए कम्पनी विधि, आई डी आर ए, एस सी आर ए, एम आर टी पी, एफ ई आर ए और सी आई सी ए में विशेषज्ञों के एक कोर ग्रुप का गठन किया गया। क्षेत्रीय स्तरों पर सदस्य/विशेषज्ञों का टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय उप-समूह भी गठित किए गए हैं। क्षेत्रीय उप-समूहों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर और इंस्टीट्यूट के मुख्यालय में हुई कोर ग्रुप की बैठकों से उभरी आम सहमति के आधार पर विभिन्न निकायों को भेजे गए अभ्यावेदन/टिप्पणियों को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

9.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणियों/सुझावों/अभ्यावेदनों को अन्तिम रूप देने के लिए बैठकें बुलाई गई :

(क) पूंजी निर्गमनों के नियंत्रक द्वारा जारी वर्तमान मार्गनिर्देश--तिवारी समिति को प्रस्तुत।

(ख) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का वर्तमान ढांचा---डा. राजा जे. चेलिया की अध्यक्षता में कर सुधार समिति को प्रस्तुत।

(ग) अन्तर्राज्यी व्यापार विनियमों पर एस ई बी आई का ड्राफ्ट पेपर।

(घ) कम्पनियों के लिए प्रायोगिक तौर पर लेखापरीक्षा शुरू करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय का प्रस्ताव--पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत।

(ङ) कम्पनी आवेदनों का संयोजन--कम्पनी मामलों के विभाग को प्रस्तुत।

(च) निर्गमन और प्रत्याभूति अन्तरण एजेंटों के रजिस्ट्रारों के विनियमों पर एस ई बी आई का परामर्शक पेपर।

(छ) कम्पनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जाने वाली विभिन्न विवरणियों की आवश्यकता कमी।

(ज) कम्पनी अधिनियम की अनुसूची 'एक' में एकबारगी वार्षिक शुल्क का निर्धारण।

(झ) वित्त मंत्रालय को पूर्व बजट ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया।

10. व्यवसाय को प्राप्त सुविधाएं :

इस वर्ष कम्पनी मामलों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त की गई हैं :

(क) गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लि., अहमदाबाद से सहायता प्राप्त करने वाली कम्पनियों की सचिवीय लेखा परीक्षा, जो ऐसी सभी कम्पनियों के लिए होगी, जहां पूर्वकालिक कम्पनी सचिव नहीं है।

(ख) अरुणाचल प्रदेश औद्योगिक विकास और वित्त निगम लि., नाहरलागुन से सहायता प्राप्त करने वाली सभी कम्पनियों की वार्षिक आधार पर सचिवीय लेखा परीक्षा।

(ग) निम्नलिखित का प्रमाणीकरण---करार करने के बारे में निदेशकों की शक्तियां, धारा 293(1)(घ)

के अधीन किसी कम्पनी की उधार लेने की सीमाएं, सदस्यों की सूची, पूंजी निर्गमन (छूट) आदेश, 1969 के अधीन प्रस्तावित उधार की छूट और अरुणाचल प्रदेश औद्योगिक विकास और वित्त निगम लि., नाहरलागुन द्वारा वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत किए जाने वाले संकल्पों की प्रतियां ।

(घ) बैंक आफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, भारत ओवरसीज बैंक लि., इण्डियन ओवरसीज बैंक, कार्पोरेशन बैंक, बैंक आफ मैसूर, आन्ध्रा बैंक तथा स्टेट बैंक आफ इन्दौर सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रभारों से संबंधित दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए नियत ।

(ङ) विनिमय नियंत्रण विनियमों के अधीन कतिपय आवेदनों के समर्थन में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रयोजनों के लिए विनिमय नियंत्रण के प्रमाण-पत्र जारी करना ।

(च) अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराइकुडी ने कम्पनी सचिव, कामर्स और बैंक प्रबंध के विषयों में पी एच डी करने के लिए कम्पनी सचिव अर्हता को स्नातकोत्तर अर्हता के रूप में मान्यता दे दी है ।

11. रोजगार के अवसर :

इंस्टीट्यूट, चैम्बर्स आफ कामर्स, ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज और अन्य संस्थाओं के माध्यम से अपने सदस्यों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका का प्रचार करने का अपना प्रयास जारी रखा है। इंस्टीट्यूट बैंकिंग विभाग के साथ भी अपना प्रयास जारी रख रही है। इंस्टीट्यूट, इसकी क्षेत्रीय परिषदें और शाखाएं रोजगार सेवा योजना के अंतर्गत कम्पनियों को नौकरी के लिए सदस्यों की सूची भेज कर रोजगार सेवाएं प्रदान करने का काम जारी रखा हैं। इस वर्ष इंस्टीट्यूट द्वारा रोजगार सेवा योजना के अन्तर्गत रखी गई उम्मीदवारों की सूची में से 78 कम्पनियों ने उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची प्राप्त करने की सुविधा का लाभ उठाया। इन कम्पनियों को चार्टर्ड सेक्रेटरी में विज्ञापन देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ताकि उन्हें और अधिक उम्मीदवारों की सूची मिल सके।

12. बीसवां राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन :

परिषद ने निर्णय लिया है कि प्रतिवर्ष अक्तूबर/नवंबर में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाए। तदनुसार इस वर्ष 12 से 15 नवम्बर, 1992 तक बीसवां राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में होगा। इस वर्ष इंस्टीट्यूट रजत जयन्ती वर्ष में प्रवेश कर रहा है, अतः यह आयोजन इसके अनुरूप समुचित ढंग से किया जाएगा। राष्ट्रीय सम्मेलन के समय साथ ही निगम सचिवों का प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव है।

13. कम्पनी अधिनियम का पुनः संहिताकरण :

13.1 जैसाकि पिछली रिपोर्ट में कहा था, इंस्टीट्यूट ने 14 अप्रैल, 1991 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के पुनः संहिताकरण के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन किया। बाद में कम्पनी मामलों के विभाग के विचारार्थ और आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कार्यशाला की रिपोर्ट उसे प्रस्तुत की गई। कार्यशाला में सिफारिश की गई कि "प्रबन्धकीय पारिश्रमिक' और 'अन्तर-निगम ऋण तथा निवेश' विषयों पर कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों की समीक्षा के लिए इंस्टीट्यूट के दो उप-समूह गठित किए जाएं। इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ सदस्यों तथा कम्पनी कार्यों के विभाग के अधिकारियों के इन समूहों ने कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों को युक्तियुक्त और सरल बनाने के वास्ते प्राप्त विभिन्न सुझावों को ध्यान में रखते हुए इन उपबन्धों की गहराई से जांच की। समीक्षाधीन वर्ष में कम्पनी मामलों के विभाग द्वारा विचार करने के लिए उपसमूहों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

13.2 कार्यशाला में उभर कर आई आम सहमति के आधार पर इंस्टीट्यूट ने निम्नलिखित के बारे में एक व्यापक टिप्पणी भी प्रस्तुत की है : (i) निगम प्रबन्ध में कार्य कर रहे व्यवसायियों की भूमिका को प्रोत्साहन देने के लिए अपेक्षित संशोधन; (ii) धारा 383 (1-क) के अधीन सीमा का निर्धारण, (iii) धारा 383 (1क) के अधीन प्रशासनिक मार्गदर्शन तैयार करना, और (iv) छोटी कम्पनियों के लिए पूर्णकालिक सचिव द्वारा सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट आरम्भ करना।

14. परिप्रेक्ष्य योजना :

परिप्रेक्ष्य योजना ग्रुप की रिपोर्ट में दिए गए अल्पकालीन उपायों के कार्यान्वयन के लिए विचार करने तथा कार्य-योजना तैयार करने के लिए इंस्टीट्यूट के सचिव-व-कार्यकारी निदेशक, निदेशकों, तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की एक उप समिति गठित की गई है। परिषद और अन्य समितियां नियत काज पर समय-समय पर इस कार्य योजना का मानीटर कार्य करेगी। परिप्रेक्ष्य योजना के अधीन क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित मदों का क्षेत्रीय/स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन करने के लिए उन्हें भेज दिया है।

15. सदस्यता पश्च अर्हता पाठ्यक्रम :

परिषद् द्वारा अनुमोदित सदस्यता पश्च अर्हता पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए ड्राफ्ट विनियमों को सरकार के अनुमोदन के लिए भेज दिया है। सरकार द्वारा इस बारे में और मांगी गई सूचना भेजी जा रही है। सदस्यता पश्च अर्हता पाठ्यक्रम के अनुमोदन के बाद सदस्यों का निर्धारित अनुभव की सुविधा का प्रस्ताव किया जाएगा।

16. पाठ्य विवरण समीक्षा समिति

1 जनवरी, 1991 को परिषद द्वारा गठित पाठ्य विवरण समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें कम्पनी सचिव पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रम ... को युक्तियुक्त बनाने तथा 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के परन्तु बाद विद्यार्थियों को इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम में उन्हें आकर्षित करने के लिए आधार पाठ्यक्रम को शुरू किया जाए। परिषद ने समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और इन सिफारिशों को लागू करने के लिए विनियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। विनियमों को शीघ्र ही सरकार को भेजने का प्रस्ताव है।

17. अधिनियम और विनियमों में संशोधन

कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 और कम्पनी सचिव विनियम, 1982 में जो कुछ संशोधन आवश्यक समझे गए, जिसके लिए परिषद ने 1990-91 में विनियम समिति नियुक्त की; इस समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं ताकि इन्हें सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजने से पूर्व परिषद उन पर विचार कर ले। यह भी प्रस्ताव है कि सरकार से इंस्टीट्यूट का नाम बदल कर 'दि इंस्टीट्यूट आफ कार्पोरेट सैक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स आफ इण्डिया' रखने को कहा जाए ताकि निगम-जगत में कम्पनी सचिवों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका ठीक ढंग से प्रतिष्ठापित हो।

18. विद्यार्थी सेवाएं

18.1 विद्यार्थियों का पंजीकरण

रिपोर्टाधीन वर्ष में इंस्टीट्यूट द्वारा 13,613 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए जबकि पिछले वर्ष 12,161 विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ था। इस वर्ष के अन्त में वर्तमान पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 55,442 थी, जिसमें विनियम 21 (3) के अधीन बढ़ाए गए रजिस्ट्रेशन भी शामिल हैं। पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या तथा जिन्होंने इण्टरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, उनके बारे में आंकड़े इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है।

18.2 शिक्षण

इस वर्ष पंजीकृत सभी विद्यार्थियों के नाम डाक द्वारा शिक्षण के लिए दर्ज किये गये। इस वर्ष कुल 11,142 शिक्षण समापन प्रमाणपत्र जारी किए गए और 96,105 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया और विद्यार्थियों को वापस भेजी गई।

18.3 अध्ययन सामग्री को अद्यतन करना

इस वर्ष सभी प्रमुख विषयों की अध्ययन सामग्री को संशोधित करने का काम पूरा किया गया। इस वर्ष कम्पनी विधि और पद्धति-I, कम्पनी विधि और पद्धति-II, आर्थिक तथा अन्य विधान तथा उच्च सचिवीय पद्धति विषयों में से प्रत्येक विषय पर एक एक, चार पूरक पत्र प्रकाशित किए गए। जिन विषयों के परीक्षण पत्रों में संशोधन करना था, उन्हें संशोधित किया गया और उनके सुझाए गए उत्तर प्रकाशित किए गए।

18.4 हिंदी में अध्ययन सामग्री

1990-91 में इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के कम्पनी विधि और पद्धति-II की अध्ययन सामग्री को हिन्दी में प्रकाशित कर एक शुरुआत की गई है। प्रयास किए जा रहे हैं कि धीरे-धीरे मार्गनिर्देशी उत्तरों और सुझाए गए उत्तरों सहित अन्य अध्ययन सामग्री भी हिन्दी में प्रकाशित कर दी जाए। अनुवाद के कार्य के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की सहायता ली जा रही है।

18.5 मार्गदर्शी उत्तर तथा विषय-क्रम में प्रश्नों की तैयारी

विद्यार्थियों के लाभ के लिए दिसम्बर, 1991 की परीक्षाओं के मार्गदर्शी उत्तर पुस्-क्रम में प्रकाशित किए गए। इस वर्ष इण्टरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के सभी विषयों पर विषय-क्रम के प्रश्न भी प्रकाशित कर दिए गए हैं।

18.6 मौखिक शिक्षण केन्द्रों की स्थापना

इस वर्ष तीन मौखिक शिक्षण केन्द्र नासिक, रूड़केला और कालीकट में खोले गए, इस प्रकार समीक्षाधीन वर्ष में इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यताप्राप्त 32 मौखिक शिक्षण केन्द्र चल रहे थे।

18.7 स्टूडेण्ट कम्पनी सेक्रेटरी

इंस्टीट्यूट कम्पनी सचिवीय पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लाभ के लिए स्टूडेण्ट कम्पनी सेक्रेटरी बुलेटिन नियमित रूप से प्रकाशित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को नवीनतम विधि सम्बन्धी संशोधनों की जानकारी देते हुए उनके अध्ययन को अद्यतन बनाना और विद्यार्थी सेवाओं की प्रशासन तथा प्रेक्टिकल प्रशिक्षण आवश्यकताओं के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करना है।

18.8 आडियो टेपों पर लेक्चर

निम्नलिखित विषयों पर तीन और ओडियो टेप तैयार की गई जिन्हें विद्यार्थियों और सदस्यों को रियायती दर पर बेचा जा रहा है;

(i) माडवेट (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीन निविष्ट शुल्क राहत योजना);

(ii) व्यापार चिह्न विधि-I के कुछ महत्वपूर्ण पहलू; और

(iii) पेटेण्ट अधिनियम, 1970 पर एक विहंगम समीक्षा

इन सभी का अलग-अलग लिप्यंतरण भी प्रकाशित किया गया है, जिनमें केसों और सुसंगत कानूनी उपबन्धों को भी दिया गया है। इन प्रकाशनों दोनों के सम्बन्ध में विद्यार्थियों तथा सदस्यों की ओर उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया मिली है ।

18.9 पुस्तकालय सुविधाएं

समीक्षाधीन वर्ष में इंस्टीट्यूट के पुस्तकालय और शाखा पुस्तकालय सहायता योजना के अधीन 68,744.65 रुपए की पुस्तकें खरीदी गईं । अब सभी शाखाओं के पास अपने-अपने पुस्तकालय हैं। जहां शाखाएं नहीं हैं, परन्तु कम से कम 100 विद्यार्थी और 10 सदस्य हैं, वहां ऐसे स्थानों में आवश्यकताएं पूरी करने के लिए गुड़गांव, अम्बाला और नासिक, कालीकट और गंजम में "अनुषंगी पुस्तकालय" स्थापित किए गए हैं। इंस्टीट्यूट के चार क्षेत्रीय कार्यालयों में एक डाक पुस्तकालय योजना के दो चरणों में कार्यान्वित की गई है। प्रथम चरण में केवल फाइनल स्तर के उन विद्यार्थियों को यह सुविधा दी गई है जिनके लिए उनके निवास या व्यवसाय के स्थान के 100 कि. मी. के दायरे में इंस्टीट्यूट के पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। चरण में इण्टरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें देने की सुविधा का कार्यान्वयन प्रथम चरण की कार्य-पद्धति की जांच करने और इस योजना की व्यावहारिकता का मूल्यांकन करने के बाद ही किया जाएगा ।

18.10 मुख्यालय का पुस्तकालय

इंस्टीट्यूट ने अनुसंधान और संदर्भ प्रयोजन के लिए अपने मुख्यालय में भी एक पुस्तकालय बनाया है ।

19. कैरियर परामर्श कार्यक्रम

इंस्टीट्यूट द्वारा इस वर्ष सीधे तथा अपनी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के जरिए कई कैरियर परामर्श कार्य-क्रम आयोजित किए । कम्पनी सेक्रेटरीशिप पाठ्यक्रम के बारे में कैरियर परामर्श के लिए प्रदर्शनी-सामग्री, चार्टों, पोस्टरों, ब्रोशरों और ट्रांसपेरेंसियों को उपयोग में लाया गया जिससे कालेज के विद्यार्थियों में इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रति जागरूकता पैदा हो । आकाशवाणी से प्रसारण के अलावा कई समाचार पत्रों और व्यावसायिक पत्रिकाओं में लेख और प्रबन्ध भी प्रकाशित किए गए । पाठ्यक्रम के बारे में आवश्यक सूचना देश भर में सभी विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शी ब्यूरो को भी दी गई । कम्पनी सचिवों के व्यवसाय के बारे में दूरदराज तक के क्षेत्रों में और अधिक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ये प्रयास किए गए । कालेज में अध्ययन कर रहे नवयुवकों में कंम्पनी सेक्रेटरीशिप पाठ्यक्रम अध्ययन करने के बाद भावी सम्भावनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लायन और रोटरी क्लबों से भी सम्पर्क किया गया और उनके सहयोग से कुछ स्थानों पर बैठकें आयोजित की ताकि इन क्लबों के सदस्य और उनके बच्चे इन भावी संभावनाओं से परिचित हो जाएं ।

20. परीक्षाएं

20.1 परीक्षाओं का आयोजन

समीक्षाधीन वर्ष में इंस्टीट्यूट ने जून और दिसम्बर 1991 में सम्पूर्ण भारत में 36 केन्द्रों में तथा एक केन्द्र दुबई में कम्पनी सचिव की परीक्षाएं आयोजित कीं । दिसम्बर 1991 के सत्र से जोधपुर केन्द्र को प्रयोग के तौर पर फिर से खोल दिया गया । जून 1991 में, इंटरमीडिएट परीक्षा में 384 और फाइनल परीक्षा में 168 परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास की जबकि दिसम्बर 1991 में ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या क्रमश: 517 और 281 रही ।

20.2 जून और दिसम्बर 1991 की परीक्षाओं में कितने परीक्षार्थी बैठे और उत्तीर्ण हुए, उनसे सम्बन्धित आंकड़े इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'च' में दिए गए हैं ।

20.3 परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम

कम्पनी सचिव परीक्षाओं में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की नीति की परिषद की कटिबद्धता के अनुसरण में इंस्टीट्यट ने अपनी सभी परीक्षाओं के लिए हिन्दी के उपयोग को वैकल्पिक माध्यम के रूप में अनुमति दे दी है। प्रॉलीमिनरी के परीक्षा तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा के ग्रुप-I के विषयों के प्रश्न पत्र अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में भी मुद्रित किए गए।

20.4 अखिल भारतीय पुरस्कार

जून और दिसम्बर 1991 में हुई फाइनल परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन के लिए दोनों प्रेजीडेण्ट स्वर्ण मेडल उत्तरी क्षेत्र के श्री मनोज जैन और श्री आशीष गुप्ता ने जीते । पं. नेहरू जन्म शताब्दी का वार्षिक पुरस्कार उत्तरी क्षेत्र के श्री राजीव अरोड़ा ने प्राप्त किया । जून तथा दिसम्बर 1991 में हुई इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में प्रतिभाशाली प्रदर्शन के लिए दोनों प्रेजीडेण्ट रजत मेडल क्रमश: पूर्वी क्षेत्र के श्री नवीन कुमार परसुराम का और संजय गुप्ता ने जीते।

20.5 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता

वर्तमान योग्यता (मेरिट) छात्रवृत्ति योजना के अनुसार जून 1991 और दिसम्बर 1991 परीक्षाओं के प्रत्येक सत्र में योग्य पाए गए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को दस छात्र-वृत्तियां दी गई । इसी प्रकार योग्यता व वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत दिसम्बर 1990 और जून 1991 की परीक्षा में योग्य पाए गए परीक्षार्थियों को वित्तीय सहायता मंजूर की ।

20.6 योग्यता प्रमाण पत्र

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की योग्यता को मान्यता प्रदान करने और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए जून तथा दिसम्बर,

1991 में हुई इण्टरमीडिएट तथा फाइनल परीक्षाओं में प्रथम दस रैंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए ।

21. प्रबंध/प्रेक्टिकल/प्रशिक्षु प्रशिक्षण :

21.1 सूचीकरण

समीक्षाधीन वर्ष में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त कम्पनियों की संख्या इस प्रकार थी :

क्षेत्र	प्रबन्ध प्रशिक्षण	प्रेक्टिकल प्रशिक्षण
पूर्व	7	7
उत्तर	29	28
दक्षिण	9	20
पश्चिम	20	23
कुल	65	78

इसके अलावा पूर्णकालिक प्रेक्टिस कर रहे 24 कम्पनी सचिवों को प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत किया गया । प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दर्ज की गई कम्पनियों और कम्पनी सचिवों की कुल संख्या तथा विभिन्न प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रायोजित विद्यार्थियों की संख्या इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'छ' में दी गई है ।

21.2 प्रशिक्षण को मानीटर करना और मजबूत बनाना

इस वर्ष मुख्यालय और क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं ने प्रबंध/प्रेक्टिकल प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत कम्पनियों में वृद्धि करने के लिए प्रयास जारी रखा गया । इस समय जितनी मान्यताप्राप्त वर्तमान कम्पनियां तथा व्यवसायरत कम्पनी सचिव हैं; उनके माध्यम से विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव है ।

21.3 सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस वर्ष के दौरान 17 सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से तीन-तीन कार्यक्रम दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद और पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद ने और दो-दो पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद् तथा बंगलौर शाखा ने आयोजित किए । हैदराबाद, चण्डीगढ़, पुणे, और अहमदाबाद शाखाओं ने एक-एक कार्यक्रम आयोजित किया; इन सब में कुल 506 विद्यार्थियों ने भाग लिया ।

इस वर्ष के दौरान सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम के चार माड्यूलरों/पाठ्यक्रमों की सामग्री संशोधित और पुनर्मुद्रित की गई, इसमें विभिन्न विधायी परिवर्तनों और पहले के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों से प्राप्त सामग्री पर विचार किया गया । केस अध्ययन, समूह-चर्चा, श्रव्य-दृश्य साधनों के उपयोग, स्टाक एक्सचेंजों, सरकारी विभागों, ई डी पी केन्द्रों और ए जी एम केन्द्रों में जाकर सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया गया ।

22. लेखे

22.1 आय और व्यय लेखा

इस वर्ष के आय और व्यय लेखे के वित्तीय परिणाम देखने से पता चलता है कि इस वर्ष 1.74 लाख रुपए का अधिशेष रहा जबकि पिछले वर्ष यह अधिशेष 8.18 लाख रुपए का था । अधिशेष में कमी आने का मुख्य कारण आय की स्थिरता और प्रतिवर्ष मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति की वजह से बढ़ता जा रहा व्यय है ।

22.2 शुल्क का पूंजीकरण

वर्तमान प्रचलित पद्धति के अनुसार एसोसिएट और फैलो सदस्यों से प्राप्त 2.33 लाख रुपए के प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत कर दिया है । वर्ष के अंत में पूंजीकृत रिजर्व राशि 26.91 लाख है, जो पिछले वर्ष 24.58 लाख रुपए थी ।

22.3 भवन रिजर्व

वर्तमान पद्धति के अनुसार भवन निर्माण के लिए सावधि जमा राशि पर अर्जित ब्याज के कारण 0.69 लाख रुपए की राशि को सीधे भवन रिजर्व निधि में विनियोजित कर दिया है । आई सी एस आई—एन आई आर सी और शाखाओं के भवन के निर्माण के लिए 5.11 लाख रुपए की पूंजीगत अदायगी को भवन रिजर्व से सामान्य रिजर्व खाते में अंतरित कर दिया है । पिछले वर्ष के कुल 9.76 लाख रुपए की तुलना में भवन रिजर्व की कुल राशि 3.76 लाख रुपए है ।

22.4 सामान्य रिजर्व

पिछले वर्ष जो सामान्य रिजर्व की 203.48 लाख रुपए की कुल राशि बढ़ कर 229.07 लाख रुपए हो गई है । इस राशि में रिपोर्टाधीन के लिए व्यय से अधिक आय का 1.74 लाख रुपए का अधिशेष शामिल है ।

23. लेखापरीक्षक

कम्पनी सचिव अधिनियम की धारा 18(4) के अनुसरण में मैसर्स खन्ना एण्ड अन्नाधनम, चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स, नई दिल्ली को 31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के लेखों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट यहां प्रकाशित की गई है ।

24. भूमि और भवन

24.1 आई सी एस आई—उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद भवन

कुछ अपरिहार्य कारणों से जो निर्माण कार्य पहले रुक गया था, अब एक नए ठेके पर काम को देकर पुनः आरम्भ हो गया है । काम चल रहा है और आशा है कि 1993 के आरम्भ में यह पूरा हो जाएगा ।

24.2 जयपुर शाखा का भवन

जयपुर शाखा के भवन निर्माण का प्रथम चरण पूरा हो गया है और नए भवन का उद्घाटन माननीय संचार मंत्री राजेश पायलट ने 20 अक्तूबर 1991 को किया। अब शाखा की शैक्षिक शिक्षण की कक्षाओं को आयोजित करने समेत सभी गतिविधियां नए कार्यालय में की जा रही है ।

24.3 पुणे शाखा कार्यालय परिसर

पुणे शाखा के अपने परिसर का काम पूरा हो गया है और 10 फरवरी 1992 से इस परिसर में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं ।

24.4 गाजियाबाद शाखा कार्यालय परिसर

गाजियाबाद शाखा ने भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से एक एम आई जी फ्लैट का कब्जा ले लिया है और नए परिसर में अपना कामकाज आरम्भ कर दिया है ।

24.5 गोआ शाखा कार्यालय परिसर

गोआ शाखा भी पणजी में नवनिर्मित फ्लैट का कब्जा लेने वाली है । आशा कब्जा लेने के बाद व्यावसायिक गतिविधियां तेज होंगी ।

24.6 इंस्टीट्यूट द्वारा पूंजीगत अनुदान और ऋण

परिषद ने इंस्टीट्यूट के सीमित साधनों में से क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं को अब तक 44.39 लाख रुपए का अनुदान और 22.07 लाख रुपए का ऋण दिया है, जिन्होंने 96.58 लाख रुपए के कार्यालय परिसरों का अधिग्रहण कर लिया है या अभिग्रहण की प्रक्रिया में है । शाखाओं ने अपनी भवन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शेष राशि जुटाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं की है या कर रही है । परिषद इन शाखाओं की सराहना करती है जिन्होंने अपने कार्यालय परिसरों के अधिग्रहण के लिए प्रयास किया है । इन शाखाओं को इन परिसरों के अनुरक्षण तथा सुसज्जित करने और आधुनिक कार्यालय उपस्कर प्राप्त करने के लिए भी अतिरिक्त साधन जुटाने होंगे, ताकि स्थानीय सदस्यों और विद्यार्थियों को बेहतर सेवाएं दी जा सकें ।

25. कम्पनी सचिव हितकारी निधि

1976 में परिषद द्वारा सोसायटी के रूप में पंजीकृत की गई कम्पनी सचिव हितकारी निधि के अब 31 मार्च 1992 को 1165 आजीवन सदस्य हैं। निधि के उपनियमों में किए गए संशोधन के अनुसार सदस्य 500 रुपए का शुल्क देकर आजीवन सदस्य बन सकते हैं। निधि में पूंजीगत रिजर्व और सामान्य रिजर्व की राशि 31 मार्च 1992 को क्रमशः 5.12 लाख और 3.92 लाख रुपए है ।

26 कर्मचारी कल्याण उपाय

आई सी एम आई एम्पलाइज क्लब को 1973 में कल्याण के एक उपाय के रूप में बनाया गया था, जिसे इसकी गतिविधियों के लिए परिषद से वित्तीय सहायता दी गई । इस वर्ष के दौरान कर्मचारियों को स्कूटर खरीदने, मकान निर्माण आदि के लिए 2.33 लाख रुपए की पेशगियां मंजूर की गई । कर्मचारियों को उनके सहकारी बचत तथा ऋण सोसाइटी और सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में सहायता करने के अलावा परिषद ने आई सी एम आई कर्मचारी कल्याण निधि के संवर्धन में भी सहायता की, जिसके लिए पिछले छः वर्षों में हुए वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलनों की अतिशेष राशि में 10,000 रुपए का वार्षिक अनुदान दिया ।

27. आभार

परिषद केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों, विशेष रूप से कम्पनी कार्य विभाग के प्रति उनके द्वारा इस वर्ष व्यवसाय को मार्गदर्शन प्रदान करने और इंस्टीट्यूट की गतिविधियों में अपना समर्थन देने के लिए आभार प्रगट करती है। क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं ने अपने-अपने क्षेत्र में व्यवसाय के विकास में परिषद् के प्रयासों में पर्याप्त सहायता दी है। परिषद् विभिन्न राज्य सरकारों, वित्तीय और औद्योगिक तथा निवेशक संस्थानों, सामान्य रूप से निगम क्षेत्र और देश के विभिन्न चैम्बर्स आफ कामर्स का भी आभार प्रकट करती है, जिन्होंने इंस्टीट्यूट के सदस्यों की सेवाएं लेने में और निगम विधि, वित्त, प्रबंध तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में इनकी विशेषज्ञता को मान्यता प्रदान की है। परिषद् क्षेत्रीय परिषद् और इनका शाखाओं तथा इंस्टीट्यूट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति अपनी गहन सराहना प्रस्तुत करती है, जिन्होंने इस रिपोर्टाधीन वर्ष में बड़ी निष्ठा से और कर्तव्य की भावना से काम किया ।

कृते इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज
आफ इंडिया की परिषद्
ह.
पी. टी. रंगामणि, अध्यक्ष

नई दिल्ली,
तारीख : 20 अगस्त, 1992

परिशिष्ट—क

स्थायी तथा अस्थायी समितियों तथा
सलाहकार बोर्ड/ग्रुपों का गठन

I स्थायी समितियां

1. अनुशासन समिति

पी.टी. रंगामणि	अध्यक्ष
सुधा पिल्लई	सदस्य
यू.के. चौधरी	सदस्य

2. परीक्षा समिति

महेश शाह	अध्यक्ष
के.आर. चन्दात्रे	सदस्य
ए.के. मोदी	सदस्य

3. कार्यसमिति

पी.टी. रंगामणि	अध्यक्ष
महेश शाह	सदस्य
श्रीमती सुधा पिल्लई	सदस्य
प्रमोद एस. शाह	सदस्य
हरीश के. बैद	सदस्य

II. अस्थायी समितियां

4. व्यावसायिक विकास समिति

पी.टी. रंगामणि	अध्यक्ष
महेश शाह	सदस्य
बिपिन एस. आचार्य	सदस्य
यू.के. चौधरी	सदस्य
ए.के. मोदी	सदस्य
टी.वी. पद्मनाभन	सदस्य
प्रमोद एस शाह	सदस्य
हरीश के. बैद	सदस्य

5. प्रशिक्षण तथा शिक्षा-सुविधा समिति

महेश शाह	अध्यक्ष
बिपिन एस. आचार्य	सदस्य
के.आर. चन्दात्रे	सदस्य
ओ.पी. दानी	सदस्य
ए.के.मोदी	सदस्य
टी.वी. पद्मनाभन	सदस्य
एम.एस. राघवन	सदस्य

6. विनियम समिति

पी.टी. रंगामणि	अध्यक्ष
के.आर. चन्दात्रे	सदस्य
ओ.पी. दानी	सदस्य
एम.एस. राघवन	सदस्य
ए.के. सेन	सदस्य

7. समन्वय समिति

(आई सी ए आई और आई सी डब्ल्यू ए आई के साथ समन्वय के लिए)

पी. टी. रंगामणि	अध्यक्ष
महेश शाह	सदस्य
ओ.पी. दानी	सदस्य
ए.के. मोदी	सदस्य
ए.के. सेन	सदस्य
प्रमोद एस. शाह	सदस्य

8. आई सी एस आई—एन आई आर सी भवन निर्माण समिति

जे. श्रीधरन	अध्यक्ष
एन. के. जैन (अध्यक्ष, एन आई आर सी)	उपाध्यक्ष
बी.के. पोद्दार	सदस्य
यू.के. चौधरी	सदस्य
ओ.पी. दानी	सदस्य
हरीश के. बैद	सदस्य
टी.पी. सुब्बारामन	सदस्य
वीरेन्द्र गोडा (उपाध्यक्ष एन आई आर सी)	सदस्य
आर. राजगोपालन (सचिव, एन आई आर सी)	सदस्य
अशोक हलदिया (कोषाध्यक्ष, एन आई आर सी)	सदस्य
सुनील गोयल	सदस्य
एच. एम. ग्रोवर	सदस्य
परमजीत सिंह	सदस्य
एन.के. अग्रवाल	समिति-सचिव

III. सलाहकार बोर्ड/ग्रुप

9. सम्पादकीय सलाहकार बोर्ड

टी.एन. पाण्डे	अध्यक्ष
बिपिन एस. आचार्य	सदस्य
एन.पी. अस्थाना	सदस्य
एस. बालसुब्रह्मण्यन	सदस्य
एस. भवानी (श्रीमति)	सदस्य
यू.के. चौधरी	सदस्य
डी.सी. जैन	सदस्य
टी.एस. कृष्णामूर्ति	सदस्य
टी.वी. नारायणस्वामी	सदस्य
टी.पी. सुब्बारमन (सम्पादक व प्रकाशक)	सदस्य

10. विशेषज्ञ सलाहकार ग्रुप

जस्टिस पी. एन. भगवती (सेवा निवृत्त)	अध्यक्ष
आर.एन. बंसल	सदस्य
प्रदीप भल्ला	सदस्य
बी.पी. गोयल	सदस्य
एस. एस. कुमार	सदस्य
एम. आर. लूथरा	सदस्य
टी.वी. नारायणस्वामी	सदस्य

परिशिष्ट 'ख'

क्षेत्रीय परिषदों की वित्तीय स्थिति और विद्यार्थियों तथा सदस्यों की संख्या

	क्षेत्रीय परिषदें			
	पूर्वी भारत क्षे.प.	उत्तरी भारत क्षे.प.	दक्षिणी भारत क्षे.प.	पश्चिमी भारत क्षे.प.
(क) वित्तीय स्थिति वर्ष 31-3-92 में अधिशेष	28,917	2,05,695	55,077	1,26,295
31-3-92 को रिजर्व और अधिशेष	6,08,947	11,83,513	9,94,225	7,13,495
(ख) विद्यार्थियों और सदस्यों की संख्या :				
विद्यार्थी :				
31-3-1992 को	10,907	15,014	15,783	13,681
31-3-1991 को	9,903	14,250	13,962	12,696
सदस्य :				
31-3-1992 को	1,182	2,034	3,125	2,966
31-3-1991 को	1,154	1,878	1,998	2,813

परिशिष्ट 'ग'

सदस्यों की वृद्धि

वर्ष	कुल संख्या			पिछले वर्ष की तुलना में वार्षिक वृद्धि	
	एसोसिएट सदस्य	फैलो सदस्य	कुल (2+3)	सकल	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
(क) 1986-87	4648(78.25)	1292(21.75)	5940(100)	335	5.98
1987-88	4947(78.09)	1388(21.91)	6335(100)	395	6.65
1988-89	5179(77.66)	1490(22.34)	6669(100)	334	5.27
1989-90	5657(77.95)	1600(22.05)	7257(100)	588	8.81
1990-91	6095(77.91)	1728(22.09)	7823(100)	566	7.79
1991-92	6364(76.61)	1943(23.09)	8307(100)	484	5.92
(ख) 1986-87 से 1991-92 तक सकल परिवर्तन	1716(72.40)	651(27.51)	2367(100)	--	--
(ग) 1986-87 से 1991-92 तक प्रतिशत परिवर्तन	36.92	50.38	39.84	--	--
(घ) औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत (3)	7.38	10.07	7.97	--	--

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में ।

भाग-I

रजिस्टर में से निकाले गए			कुल सदस्यों में से निकाले सदस्यों का प्रतिशत	प्रेक्टिस प्रमाण-पत्र धारकों की संख्या	कुल सदस्यों में से प्रेक्टिस प्रमाण-पत्र धारकों का प्रतिशत
भुगतान न करने के कारण	मृत्यु के कारण	कुल (7+8)			
7	8	9	10	11	12
68(82.92)	14(17.08)	82(100)	1.38	879	14.80
76(86.36)	12(13.64)	88(100)	1.39	1065	16.81
196(92.02)	17(7.98)	213(100)	3.19	1192	17.87
100(91.74)	09(8.26)	109(100)	1.50	1225	16.88
116(89.92)	13(10.08)	129(100)	1.64	1188	15.19
154(90.58)	16(9.42)	170(100)	2.05	1102	13.26
		86			
		107.3			
		21.46			

टिप्पणी : --कोष्ठक में दिए आकड़े प्रतिशत में हैं ।

परिशिष्ट 'ग'

प्रेक्टिस प्रमाणपत्र धारी सदस्यों में वृद्धि

भाग-II

वर्ष	वर्ष के दौरान				31 मार्च को कुल प्रैक्टिस प्रमाणपत्र धारी सदस्यों की संख्या
	जारी	नवीकरण	रद्द	निवल वृद्धि	
(क) 1986-87	185	694	55	130	879
1987-88	247	818	61	186	1065
1988-89	258	931	131	127	1192
1989-90	122	1103	89	33	1225
1990-91	135	1053	216	-37	1188
1991-92	105	997	209	-86	1102
(ख) सकल परिवर्तन (1986-87 से 1991-92)					223
(ग) प्रतिशत परिवर्तन (1986-87 से 1991-92 तक)					25.36
(घ) औसत वार्षिक वृद्धि पर (प्रतिशत)					5.07

परिशिष्ट 'घ'

सम्मेलन कार्यशाला व्यवसायिक विकास कार्यक्रम

1. नई दिल्ली में 11-13 अप्रैल 1991 को "औद्योगिक विकास की रणनीति, विषय पर आयोजित 19वां राष्ट्रीय सम्मेलन (पहले यह 7-9 फरवरी 1991 को होना था)

2. नई दिल्ली में 14 अप्रैल 1991 को कम्पनी अधिनियम का पुन संहिताकरण करने पर आयोजित कार्यशाला--कार्यशाला में हुई चर्चा के आधार पर कम्पनी कार्य विभाग को 13-5-91 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

3. बम्बई में 10 मई, 1996 को वार्षिक विवरणों और अन्य प्रलेखों के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में आयोजित।

4. नई दिल्ली में 28 जून, 1991 को 'कम्पनी विधि बोर्ड तथा एम आर टी पी आयोग के सामने पेश होने की प्रक्रिया के बारे में आयोजित।

5. बंगलौर में 8-9 को 'सरकारी कम्पनियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कानूनी और प्रक्रिया सम्बन्धी पहलू' विषय पर डी पी ई के साथ संयुक्त कार्यक्रम

6. नई दिल्ली में 20-24 सितम्बर, 1993 को 'केन्द्रीय उत्पाद शुल्क --विधि और प्रक्रिया' के बारे में एक अभिविन्यास कार्यक्रम।

7. पुणे में 27-28 नवम्बर, 1991 को 'कर तथा वार्षिक विधानों में वर्तमान समस्याएं' विषय पर डी पी ई के साथ संयुक्त कार्यक्रम।

8 हैदराबाद में 13-15 फरवरी को 'निगम वित्त व विधि--कतिपय पहलू' विषय पर आई सी एम आई-आई सी ए आई का संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया जाना था (कार्यक्रम स्थगित हो गया)।

परिशिष्ट 'ङ'

विद्यार्थी संबंधी आंकड़े

(1986-87 से 1991-92 तक)

वर्ष	पंजीकृत विद्यार्थी		वर्तमान उत्तीर्ण विद्यार्थी	
	कुल	वर्तमान	इण्टरमीडिएट	फाइनल
(क) 1986-87	126348	51020	1681	510
1987-88	134667	50519	1394	646
1988-89	145051	51459	1234	824
1989-90	157175	52335	1151	779
1990-91	169337	50860	709	908
1991-92	182950	55442	901	449
(ख) सकल परिवर्तनम (1986-87 से 199-92 तक)		50602		
ग) प्रतिशत परिवर्तन (1986-87 से 1991-92 तक)		40.79		
(घ) औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत)		8.45		

परिशिष्ट 'च'

परीक्षाओं में बैठने तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या के आंकड़े

परीक्षा	बैठे	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत
प्रारम्भिक (प्रीलिमिनरी)	72	2	2.77
इण्टरमीडिएट†			
ग्रुप-1	2641	424	16.05
ग्रुप-2	3764	647	17.19
फाइनल‡			
ग्रुप-1	930	334	35.91
ग्रुप-2	956	407	42.57
ग्रुप-3	1201	193	16.27

†दोनों ग्रुपों में 1091 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से दोनों ग्रुपों में 69 ने परीक्षा पास की (6.32 प्रतिशत)

‡दोनों ग्रुपों में 367 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से दोनों ग्रुपों में 20 ने परीक्षा पास की (5.16 प्रतिशत)

II—दिसम्बर 1991 का सत्र

परीक्षा	बैठे	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत
प्रारम्भिक (प्रीलिमिनरी)	63	5	7.93
इण्टरमीडिएट††			
ग्रुप-1	2933	581	19.81
ग्रुप-2	4231	705	16.66
फाइनल‡‡			
ग्रुप-1	972	400	41.15
ग्रुप-2	1046	426	40.72
ग्रुप-3	1442	401	27.81

††दोनों ग्रुपों में 1428 परीक्षार्थी बैठे, जिसमें से दोनों ग्रुपों में 96 ने परीक्षा पास की (6.72 प्रतिशत)

‡‡सभी दोनों ग्रुपों में 356 परीक्षार्थी बैठे जिनमें से 33 ने परीक्षा पास की। (9.27 प्रतिशत)

परिशिष्ट 'छ'

विद्यार्थियों के प्रशिक्षण संबंधी आंकड़े

(1987-88 से 1991-92 तक)

	31 मार्च को मान्यता प्राप्त कम्पनियों की संख्या					31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान प्रायोजित विद्यार्थियों की संख्या				
	1988	1989	1990	1991	1992	1988	1989	1990	1991	1992
1. प्रबंध प्रशिक्षण	262	371	460	548	613	74	170	125	129	123
2. व्यावहारिक प्रशिक्षण	661	762	850	957	1035	432	542	519	664	625
3. प्रैक्टिसरत कम्पनी सचिव के साथ शिक्षित	32	67	86	101	125	40	80	82	68	87

खन्ना एंड अन्नाधनम
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस

701, मानसरोवर,
26ए, बाराखम्बा रोड, पो. बाक्स सं. 649,
नई दिल्ली – 110001

लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

हमने इंस्टीट्यूट आफ कंपनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया के 31 मार्च, 1992 के तुलन पत्र तथा इसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखे का परीक्षण भी किया है और हमारी रिपोर्ट इस प्रकार है :

1. हमें वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए, जो हमें अपेक्षित जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए प्राप्त करने आवश्यक थे।

2. रिपोर्ट का संदर्भाधीन तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखे रखी गई लेखा पुस्तकों और रिकार्डों से मेल खाते हैं।

3. हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है तथा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित के बारे में ये लेखे सही और पर्याप्त स्पष्ट स्थिति प्रकट करते हैं :

   (i) इंस्टीट्यूट के मामलों से संबंधित 31 मार्च, 1992 को समाप्त अवधि के तुलन-पत्र के बारे में स्थिति।

   (ii) उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय व व्यय लेखे में अधिशेष से संबंधित स्थिति।

कृते खन्ना एंड अन्नाधनम
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस

बी. जे. सिंह,
पार्टनर

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 जुलाई, 1992

दि इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया

31 मार्च, 1992 का तुलन-पत्र

	अनुसूची सं	31 मार्च, 92 (रु.)		31 मार्च, 91 (रु.)	
निधि का स्रोत					
पूंजी रिजर्व	1		26,90,725		24,58,225
भवन रिजर्व	2		3,75,536		9,76,125
सामान्य रिजर्व	3		2,59,06,743		2,03,48,451
			2,59,73,004		2,37,82,803
निधि का प्रयोग					
स्थायी परिसम्पत्तियां	4				
सकल ब्लाक		2,02,84,295		1,78,14,515	
घटाएं : मूल्यह्रास		50,08,184		43,26,927	
			1,52,16,111		1,34,87,588
निवल ब्याज	5		82,72,000		1,00,72,000
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और पेशगियां					
चालू परिसम्पत्तियां	6	52,86,569		49,69,282	
ऋण और पेशगियां	7	1,00,37,872		81,81,149	
		1,53,24,441		1,31,50,431	
घटाएं : चालू देयताएं और प्रावधान	8	1,28,39,548		1,29,27,216	
—निवल चालू परिसम्पत्तियां			24,84,893		2,23,215
			2,59,73,004		2,37,82,803
लेखांकन नीतियां	15				

टिप्पणी :—

1. भारत सरकार के समक्ष 31 मार्च 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष और उसके बाद के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 सी) (i) के अधीन छूट लागू करने का मामला पुनर्विचार के लिए अनिर्णीत पड़ा है। 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष के बारे में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (22) के अधीन छूट लागू करने का मामला भी [illegible] (...) को भेजा गया है। इस बारे में अंतिम निर्णय होने तक लेखों में कर प्रावधान का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

2. 31 मार्च, 1991 तक कर्मचारी-उपदान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता था। इस वर्ष भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह उपदान योजना के अन्तर्गत एक पालिसी ली गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने 19 मार्च, 1992 तक की [illegible] शामिल करने के लिए 10,99,350 रुपए का प्रीमियम बताया है। इसे 2,19,870 रुपए की प्रत्येक पांच बराबर किश्तों में दिया जाना है। पहली किश्त मार्च, 1992 में दे दी गई है और शेष राशि को 'चालू देयताओं' के रूप में दिखाया गया है। 31 मार्च, 1991 तक लेखा पुस्तकों में बने अधिक प्रावधान के कारण 4,14,724 रुपए की राशि के अन्तर को, जो जीवन बीमा निगम को देय है, उसे सामान्य रिजर्व में पुनरांकन के रूप में दिखाया गया है।

3. प्रसाद नगर, नई दिल्ली में [illegible] के बारे में ठेकेदार ने [illegible] काम बीच में समाप्त करने के कारण क्षतिपूर्ति के लिए इंस्टीट्यूट से 57.21 लाख रुपए की मांग रखी है। इंस्टीट्यूट ने भी उसके विरुद्ध 4.10 लाख रुपए का दावा प्रस्तुत किया है। क्योंकि मामला मध्यस्थता के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए पड़ा है इसलिए इस बारे में लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया है।

4. पिछले वर्ष के आंकड़ों का, यथाआवश्यक, पुनर्वर्गीकरण कर दिया गया है।

ह.	ह.	ह.	ह.
(बी. के. सिंह)	(टी. पी. सुब्रमनियन)	(महेश शाह)	(पी. टी. रंगामणि)
पार्टनर	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते खन्ना एंड अन्नाधनम

चार्टेड एकाउण्टेंटस

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 14 जुलाई, 1992

दि इंस्टीट्यूट आफ कंपनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया

31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष का आय तथा व्यय लेखा

	अनुसूची	1991-92 (रु.)	1990-91 (रु.)
आय			
शुल्क	9	1,92,14,180	1,76,10,099
जर्नल/बुलेटिन अभिदान और विज्ञापन		25,45,241	22,34,193
प्रकाशनों की बिक्री		12,53,219	12,41,137
निवेश से ब्याज		18,87,590	15,91,579
सम्मेलन और कार्यक्रमों की अधिशेष राशि	10	1,53,844	7,82
वीडियो फिल्म की			
दान राशि – 1,00,000			
घटाएं व्यय – 1,00,000		—	—
अन्य आय	11	43,268	63,010
		2,50,97,342	2,27,37,840

	अनुसूची	1991-92 (रु.)	1990-91 (रु.)
व्यय			
क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं को अनुदान		13,99,625	12,63,114
क्षेत्रीय कार्यालय		2,91,698	2,59,125
स्थापना	12	97,45,611	87,66,708
डाक शिक्षण		32,42,078	31,20709
प्रकाशन और कार्यालय स्टेशनरी		11,89,491	10,89,562
जर्नल/बुलेटिन		24,16,610	20,39,408
यात्रा और सवारी		7 71,307	8,52,353
परीक्षा व्यय		14,74,281	13,89,515
संचार व्यय	13	14,25,602	12,43,967
विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां और पुरस्कार		32,014	37,185
मूल्यह्रास	4	7,87,755	6,49,111
बट्टे खाते/वसूल न होने वाले ऋणों के लिए प्रावधान		14,070	14,060
व्यावसायिक प्रशिक्षण और विकास		51,835	29,306
निर्वाचन व्यय		3,59,973	---
अन्य व्यय	14	17 41,647	12,38,582
सामान्य रिजर्व में ले जाई गई व्यय से अधिक हुई आय		1,73,742	8,16,137
		2,50,97,342	2,27,37,840

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
खन्ना एंड अन्नाधनम
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स

ह.	ह.	ह.	ह.
(बी. जे. सिंह)	(डा. वी. पुरुषोत्तम)	(महेश गर्ग)	(पी.टी. श्यामणि)
पार्टनर	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 14 जुलाई, 1992

अनुसूची सं. 1

पूंजी रिजर्व

रु.

		31 मार्च, 1992		31 मार्च 1991
पिछले वर्ष के अनुसार		24,58,225		22,38,425
जोड़ें : प्रवेश शुल्क				
—एसोसिएट सदस्य	1,92,300		1,92,500	
—फैलो सदस्य	40,200	2,32,500	27,300	2,19,800
		26,90,725		24,58,225

	भवन रिजर्व		अनुसूची सं० 2	
	31 मार्च, 1992		31 मार्च, 1991	
पिछले लेखे के अनुसार		9,76,125		23,53,307
जोड़ें : प्राप्त धनराशियां :				
--क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं से योगदान	15,56,831		7,46,698	
--सावधि जमा राशि पर ब्याज	69,785		1,41,053	
		16,25,616		8,87,751
		26,01,741		32,41,058
घटाएं : 1 सामान्य रिजर्व में अन्तरण :				
--क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं से योगदान	15,56,831		7,46,698	
--इंस्टीट्यूट द्वारा वहन की गई निर्माण लागत	5,11,439		15,18,235	
	20,68,270		22,64,933	
2. क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं को भूमि/भवनों की लागत में कमी	1,57,935	22,26,205	--	22,64,933
		3,75,536		9,76,125

अनुसूची सं. 3

सामान्य रिजर्व

	31 मार्च, 1992		31 मार्च, 1991	
पिछले लेखे के अनुसार :		2,03,48,453		1,80,28,806
जोड़ें :				
भवन रिजर्व से अंतरण		20,68,270		22,64,933
निम्नलिखित के लिए अधिक पुनर्लिखित प्रावधान--				
(क) अनुदान	--		1,58,000	
(ख) सम्पत्ति कर	--		8,482	
(ग) उपदान देयता	4,14,724		--	
		4,14,724		1,66,482
लाभ तथा अन्य लेखे के अनुसार अधिशेष		1,73,724		8,16,137
		2,30,05,189		2,12,76,358
घटाएं :				
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बंध पत्रों पर प्रोद्भूत ब्याज के आधार में परिवर्तन के कारण समायोजन-तुलनपत्र की टिप्पणी 1 देखिए	--		9,27,905	
इस वर्ष आरम्भ में बंगलौर शाखा के 18वें सम्मेलन की अधिशेष राशि के अतिरिक्त आवंटन का समायोजन	98,446		--	
		98,446		9,27,905
		2,29,06,743		2,03,48,453

अनुसूची सं. 4

स्थायी परिसम्पत्तियां (ख)

मदें	सकल ब्लाक			
	1-4-91 को लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31-3-92 को कुल लागत
1	2	3	4	5
भूमि	24,23,838	—	1,57,935	22,65,903
भवन	86,38,614	21,86,644	—	1,08,25,258
साइकिल/स्कूटर शेड	19,993	—	—	19,993
भवन (निर्माणाधीन)	24,85,497	5,28,691	6,42,065	23,72,123
फर्नीचर और जुड़नार	11,74,473	57,516	1,449	12,30,540
वातानुकूलक व कूलर	9,35,727	—	—	9,35,727
कम्प्यूटर	83,600	1,91,999	—	2,75,599
बिजली के उपस्कर	1,86,890	13,370	—	2,00,260
कार्यालय उपस्कर	8,41,163	2,45,596	184	10,86,375
अन्य उपस्कर	19,804	344	—	20,148
पुस्तकालय में पुस्तकें	8,86,180	72,346	49,643	9,08,883
वाहन	1,18,750	24,750	—	1,43,506
इस वर्ष का कुल जोड़	17,81,41,515	33,21,256	8,51,476	2,02,84,295
पिछले वर्ष का जोड़	1,53,27,674	25,01,043	14,202	1,78,14,515

मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
1-4-91 को स्थिति	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान समायोजन	कुल मूल्यह्रास	31-3-92 को स्थिति	31-3-91 को स्थिति
6	7	8	9	10	11
—	—	—	—	22,65,903	24,23,838
17,06,667	4,55,939	—	21,62,597	86,62,661	69,31,947
19,472	174	—	19,646	347	521
—	—	—	—	23,72,123	24,85,497
6,76,065	55,555	1,076	7,30,544	4,99,996	41,98,408
6,12,268	48,519	—	6,60,787	2,74,940	3,23,459
23 199	37,860	—	61,059	2,14,540	60,401
89,027	16,684	—	1,05,711	94,549	97,863
5,39,798	82,013	160	6,21,651	4,64,724	3,01,365
11,193	1,342	—	12,535	7,613	8,610
6,05,817	69,661	45,262	6,30,216	2,78,647	2,80,344
43,421	20,017	—	63,438	80,068	75,335
43,26,927	7,87,755	46,498	50,68,184	1,52,16,111	1,34,87,588
36,90,609	6,49,111	12,793	43,26,927	1,34,87,588	—

अनुसूची-5

निवेश

	31 मार्च, 1992 (रु.)	31 मार्च, 1991 (रु.)
सार्वजनिक उद्यमों के बंध पत्र	52,00,000	52,00,000
बैंकों में सावधि जमा	30,00,000	48,00,000
पुरस्कार प्रदान करने के लिए निवेश (दूसरी तरफ)		
—सार्वजनिक उद्यमों के बंधपत्र	40,000	40,000
—बैंकों में सावधि जमा	32,000	32,000
	82,72,000	1,00,72,000

टिप्पणी :—सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बंधपत्रों के बारे में उन पर अंकित मूल्य दिखाया गया।
31 मार्च 1992 को उनका बाजार मूल्य मालूम नहीं है।

अनुसूची-6

चालू परिसम्पत्तियां

		31 मार्च, 1992 (रु.)		31 मार्च, 1991 (रु.)	
स्टॉक					
(इनका मूल्य प्रबंधकों द्वारा प्रमाणित मूल्य के अनुसार है)					
प्रकाशन		5,92,779		4,94,202	
कागज		14,92,614		4,63,342	
अध्ययन सामग्री		15,54,365		19,31,642	
अन्य		3,10,012		2,40,536	
			39,49,770		31,29,722
विविध देनदार					
(क) आरक्षित राशि जिनकी वसूल होने की संभावना है		36,505		9,025	
अन्य		1,30,925		1,28,417	
		1,67,430		1,37,442	
(ख) आरक्षित राशि जिनकी वसूली संदिग्ध है	33,755		19,685		
घटाएं : संदिग्ध और वसूल न हो सकने वाले ऋणों के लिए रिजर्व	33,755	—	19,685		
			1,67,430		1,37,442
नकदी और बैंक शेष					
हस्तगत नकदी, डाक टिकट और ड्राफ्ट		1,22,998		93,975	
शेड्यूल्ड बैंक खातों में अनुसूचित बैंकों के पास बैंक शेष		10,46,371		16,08,143	
			11,69,369		17,02,118
			52,86,569		49,69,282

अनुसूची-7

ऋण और पेशगियां

	31 मार्च, 1992 (रु.)	31 मार्च, 1991 (रु.)
ऋण :		
क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं के भवनों के लिए	12,32,468	14,09,475
पेशगियां :		
निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज	64,09,869	50,63,840
कर्मचारी	10,73,873	11,84,698
क्षेत्रीय परिषदें/शाखाएं	1,72,568	72,148
पूर्व प्रदत्त व्यय	2,88,975	1,77,430
विविध जमा राशियां	1,83,571	1,61,071
आई सी एस आई—ए आई आर सी की भवन परियोजना	4,70,303	—
अन्य पेशगियां	2,06,245	1,12,487
	1,00,37,872	81,81,149

अनुसूची-8

चालू देयताएं और प्रावधान

	31 मार्च, 1992 (रु.)		31 मार्च, 1991 (रु.)	
चालू देयताएं				
विविध लेनदार	2,61,531		2,33,881	
विद्यार्थियों का असमाप्त रजिस्ट्रेशन शुल्क	63,38,862		58,73,195	
क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं को देय अनुदान	8,61,590		7,14,295	
अग्रिम प्राप्त शुल्क और अन्य राशियां	71,830		6,44,232	
प्राप्त धन राशियों का पुनः आवंटन	1,40,777		3,05,488	
देय-व्यय	20,51,148		14,23,887	
चिकित्सा व्यय योजना	32,050		23,414	
पुरस्कार प्रदान करने के लिए प्राप्त धन राशि (दूसरी तरफ)	72,000		72,000	
हितकारी निधि	70,360		38,775	
उपदान ट्रस्ट (जीवन बीमा निगम)	8,79,480		—	
		1,07,79,678		93,29,167
प्रावधान				
उपदान	—		16,66,806	
पेंशन	20,59,870		19,31,243	
		20,59,870		35,98,049
		1,28,39,548		1,29,27,216

अनुसूची-9

सदस्यों और विद्यार्थियों से शुल्क

	1991-92 (रु.)	(रु.)	1990-91 (रु.)	(रु.)
सदस्य :				
वार्षिक शुल्क	22,93,038		21,32,666	
अन्य शुल्क	16,500		16,775	
		23,09,538		21,49,441
विद्यार्थी :				
परीक्षा शुल्क	40,44,048		36,24,387	
डाक शिक्षण शुल्क	99,97,294		91,36,119	
पंजीकरण शुल्क	29,19,778		26,81,557	
लाइसेंस शुल्क	85,751		90,048	
छूट शुल्क	11,76,031		9,71,639	
अन्य शुल्क	42,250		39,202	
		1,82,65,152		1,65,42,952
		2,05,74,690		1,86,92,393
घटाएं :				
घटाएं : कर्मचारी/बुलेटिन के लिए नियत अभिदान		13,60,510		10,82,294
		1,92,14,180		1,76,10,099

अनुसूची-10

सम्मेलन और कार्यक्रमों से आय

	1991-92 (रु.)	(रु.)	1990-91 (रु.)	(रु.)
प्राप्तियां :				
प्रतिनिधि शुल्क	7,37,350		—	
विज्ञापन	1,10,700		—	
पुनरांकित अधिक प्रावधान	—		10,124	
अन्य	28,000		—	
		8,76,050		10,124
घटाएं : व्यय				
प्रत्यक्ष	7,02,206		—	
अन्य	—		2,302	
		7,02,206		2,302
घटाएं : कल्याणी सेक्रेटरीज /आई सी एस आई कर्मचारी हितकारी निधि को अंशदान	20,000		—	
		7,22,206		2,302
		1,53,844		7,822

अनुसूची-11

अन्य आय

	1991-92 (रु.)	1990-91 (रु.)
कर्मचारी पेशगियों से ब्याज	14,618	22,789
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री का अधिशेष	—	3,789
विविध आय	28,650	36,432
	43,268	63,010

अनुसूची-12

स्थापना व्यय

	1991-92 (रु.)	1990-91 (रु.)
वेतन और भत्ते	83,66,618	71,66,626
कर्मचारी कल्याण	6,50,398	5,23,938
भविष्य निधि में अंशदान	3,89,025	3,60,880
उपदान	—	2,94,635
पेंशन	3,39,570	4,20,629
	97,45,611	87,66,708

अनुसूची-13

संचार व्यय

	1991-92 (रु.)	1990-91 (रु.)
डाक टिकट और तार	9,77,841	9,39,225
टेलीफोन, टेलेक्स और इंटरनेट	4,47,761	3,04,742
	14,25,602	12,43,967

अनुसूची-14

अन्य व्यय

	1991-92 (रु.)	1990-91 (रु.)
विज्ञापन और प्रचार	82,971	86,859
बैंक प्रभार	19,861	25,451
बिजली और पानी	3,39,113	2,08,79
बीमा	14,934	13,625
किराया, दरें और कर	2,00,448	1,38,131
मरम्मत और अनुरक्षण		
--भवन	1,47,937	57,085
--अन्य	1,45,040	1,16,707
कानूनी व्यय	91,681	33,263
मोटरकार व्यय	58,274	60,008
कार्यालय व्यय	2,16,906	1,07,023
कम्प्यूटरीकरण	1,63,694	1,58,818
लेखापरीक्षकों को भुगतान		
—सांविधिक लेखा परीक्षा	15,000	10,000
बैठकें	54,539	63,292
पैकिंग, ढुलाई और भाड़ा	1,89,559	1,59,523
बिक्री/परिसम्पत्तियों के निपटान से हानि	1,690	--
	17,41,647	12,38,582

अनुसूची-15

लेखांकन नीतियां

1. फैलो और एसोसिएट सदस्यों से प्रवेश शुल्क प्राप्त होने पर उसका पंजीकरण कर लिया गया है।

2. क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं द्वारा भूमि तथा भवन की लागत के बारे में सीधे प्राप्त धन राशि और अंशदानों को भवन रिजर्व खाते में जमा किया गया है। भूमि खरीदने/भवन निर्माण पर खर्च की गई निधियों को सामान्य रिजर्व में अंतरित कर दिया गया है।

3. समग्र निधि निवेश के भाग के रूप में भवन निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज का हिसाब वर्ष के दौरान उपलब्ध औसत निधि के आधार पर लगाया गया है और भवन रिजर्व के खाते में जमा किया गया है।

4. रजिस्ट्रेशन शुल्क को छोड़कर विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क का हिसाब प्राप्ति-आधार पर किया गया है। रजिस्ट्रेशन शुल्क को पांच वर्ष की अवधि में बराबर-बराबर आय के रूप में लिया गया है।

5. कागज, प्रकाशनों और अध्ययन सामग्री के स्टाक के मूल्य को लागत के आधार पर लिया गया है।

6. निवेशों को भी लागत आधार पर लिया गया है।

7. स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास निम्नलिखित दरों पर अंकित मूल्य के आधार पर किया है:--

भवन	5 प्रतिशत
फर्नीचर और जुड़नार	10 प्रतिशत
वातानुकूलक/कूलर, कम्प्यूटर तथा अन्य उपस्कर	15 प्रतिशत
पुस्तकालय में पुस्तकें	20 प्रतिशत
वाहन	20 प्रतिशत
शेड	33.33 प्रतिशत

इस वर्ष जोड़ी गई सामग्री पर मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया है।

8. पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान जीवनांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। संचित निधि और इम्प्लाइज की अधिशेष निधि का निवेश सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बंधपत्रों में किया गया है तथा इन दोनों की अलग-अलग पहचान नहीं रखी गई है।

9. उपदान ट्रस्ट में अंशदान जीवन बीमा निगम की समूह उपदान योजना के अनुसार किया गया है।

डा. पी. मुकारामन

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA

(Constituted under the Company Secretaries Act, 1980)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 1992

No. 104|20|Accts.—TWELFTH ANNUAL REPORT OF THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1992

1. INTRODUCTION

In pursuance of the requirement of Sub-section (5) of Section 18 of the Company Secretaries Act, 1980 (the Act), the Council of the Institute of Company Secretaries of India is pleased to publish the twelfth annual report and the audited statements of account along with the auditors' report thereon, on the working of the Institute for the year ended 31st March, 1992. Some of the significant activities of the Institute, for the year ended 31st March, 1992 have also been outlined herein.

2. DEVELOPMENTS

2.1 During the year under review, our country had witnessed significant structural changes, thanks to the formulation of bold and path breaking policies by Government. There was an increasing thrust towards de-regulation and control by exception by Government by placing greater reliance on professionals. In this context, the role of professionals in Trade, Industry and Government is bound to grow which would go a long way in subserving public interest. The Institute has been for quite sometime urging the Government to follow the concept of 'Control by Exception' by relying on enlightened professionals. The recent liberalisation measures are in a way, a vindication of the Institute's philosophy on the matter.

2.2 In the changing context, it is gratifying that the concept of Secretarial Audit has gained further momentum and acceptability among the State Level Financial Institutions during the year under review. In June 1991, the Gujarat Industrial Investment Corporation Limited, Ahmedabad, introduced Annual Secretarial Audit of all assisted companies, which are not having whole-time company secretaries and in August 1991, the Arunachal Pradesh Industrial Development & Financial Corporation Limited, Naharlagun, prescribed annual Secretarial Audit of Companies assisted by the Corporation. Representations in this behalf have also been made to various other State Level Industrial|Financial Institutions and some of them are examining the feasibility of introducing a covenant for such an audit in the loan agreement entered into with the assisted companies. The Council has also been impressing upon the Central Government to amend the Companies Act, 1956 to introduce Secretarial Compliance Report by a Company Secretary in whole-time practice in respect of companies which are not compulsorily required to appoint company secretary.

2.3 During the year under review, the practising side of the Profession secured yet another recognition under the Foreign Exchange Regulations Act, 1973. The Reserve Bank of India, in March 1992, has granted recognition to company secretaries in whole-time practice for issuing various certificates under the Exchange Control Regulations.

2.4 As members are aware, the Institute has been making concerted efforts to have the members of the profession appointed as nominee directosr on the Boards of companies assisted by Financial Institutions and Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR). The Industrial Development Bank of India (IDBI), has agreed to consider nomination of members on the Boards of its assisted companies. The Banking Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance too has been forwarded on its request a panel of senior members of the Profession, for appointment as nominee directors on the Boards of Banks and Financial Institutions.

2.5 Ever since the setting up of the Securities & Exchange Board of India (SEBI), a regulatory body on the functioning of the capital markets, the Institute has been maintaining a regular interaction and association with SEBI. The SEBI has emerged as a focal regulatory and watch-dog body in the evolving free market set up. Capital markets and securities regulation being the core area of specialisation of our members as provided in section 2(2) of the Company Secretaries Act, 1980, the profession looks forward to SEBI reposing confidence and trust in the Institute and its members, particularly in areas such as, compliance of disclosure and other requirements of prospectus, issue of share capital, transfer and transmission of shares etc., considering the knowledge and experience of its members both in employment and practice.

3. COUNCIL

3.1 Election of Council Members

The three year term of the third elected Council expired on 31st December 1991. Pursuant to provisions of clause (a) of Sub-section (2) of section 9 of the Company Secretaries Act, 1980, the fourth elections to the Council were smoothly held in the last quarter of the year 1991 and the following twelve Fellow Members were declared elected to the Council :

Eastern India Regional Constituency

1. A. K. Sen
2. Mahesh Shah

Northern India Regional Constituency

1. U K Chaudhary
2. O P Dani
3. Harish K Vaid

Southern India Regional Constituency

1. T V Padmanabhan
2. M S Raghavan
3. P T Rangamani

Western India Regional Constituency

1. Bipin S Acharya
2. K R Chandratre
3. A K Modi
4. Pramod S Shah

3.2 Constitution of the Council

The new Council was duly constituted w.e.f. 1st January, 1992. All the elected members assumed office for a period of three years from that date and continue to hold office upto the date of this report.

3.3 Government Nominees

In accordance with the powers conferred under clause (b) of Sub-section (2) of section 9 of the Company Secretaries Act, 1980 for nomination of four members, the Central Government nominated the following persons for the three year term of the fourth elected Council upto 31st December, 1994 :

1. Sudha Pillai	(w.e.f. 1-1-1992)
2. C Sivasankaran	(w.e.f. 27-1-1992)
3. J Sridharan	-do-
4. D Pullaiah	-do-

3.4 President and Vice-President

At the meeting of the Council held on 1st January, 1992, N J N Vazifdar relinquished the office of President. P T Rangamani and Mahesh Shah were elected President and Vice-President respectively for a period of one year from 1st January 1992. The Council placed on record its appreciation of the valuable contribution made by N J N Vazifdar as President of the Institute during 1991.

3.5 Meetings

The Council held six meetings during the year.

3.6 Committees, etc.

The Council constituted three Standing Committees and five other Committees. The Council also constituted various specialised Groups and Advisory Boards to assist the Council. The composition of these Committees, Groups and Advisory Boards is given in Appendix 'A' to the Report.

4. REGIONAL COUNCILS AND CHAPTERS

4.1 Regional Councils

The term of the third elected Regional Councils constituted under the Act for a period of three years expired on 31st December 1991. The fourth elections to all the four Regional Councils were held in the last quarer of 1991 simultaneously with the elections to the Council. The three new Regional Councils (EIRC, NIRC & SIRC) were duly constituted with effect from 1st January 1992 for a period of three years, while the fourth Regional Council (WIRC) was constituted with effect from 7th January 1992 to 31st December 1994.

4.2 The four Regional Councils constituted by the Council for assisting it in its efforts had been smoothly performing their functions during the year. They had been conducting conferences, seminars and meetings, providing services, such as, oral coaching and Secretarial Modular Training Programmes for students, library facilities, career counselling, publication of news letters and providing assistance to Chapters coming under their jurisdiction. The activities of Regional Councils and Chapters are regularly reported in their news letters and in 'Chartered Secretary'. The reserves and surpluses of each Regional Council, along with the number of members and students in each region as on 31st March 1992 are given in Appendix 'B' to the Report.

4.3 Chapters

The thirty-four Chapters, duly reconstituted under the jurisdiction of the four Regional Councils, conducted activities locally during the year for the education and training of students and the professional development of members.

5 MEMBERS

5.1 Membership

During the year, 611 persons were admitted as Associate Members and 246 Associates were admitted as Fellow Members. As on 31st March, 1992, the Institute had on its Register 8307 members comprising 6364 Associates and 1943 Fellows. The number of members residing abroad as on 31st March, 1992 was 183. The Council regrets to report the death of 16 members during the year. During the year under review, the names of 170 members comprising of 24 Fellows and 146 Associates were removed from the Register due to non-payment of annual fees, death or resignation.

5.2 Growth of Members

A table showing the statistics on members and those holding certificates of practice, is given as Appendix 'C' to the Report.

5.3 List of Members

In pursuance of section 19(3) of the Company Secretaries Act, 1980, read with Regulation 161 of the Company Secretaries Regulations, 1982, a complete list of members as on 1st April 1991 has been published and supplied to members on request.

5.4 Certificate of Practice

Certificates of Practice were issud to 105 members during the year. As on 31st March, 1992, 1102 members were holding certificates of practice as against 1188 as on 31st March 1991. In all, certificates of practice of 209 members stood cancelled due to non-payment annual fees, death or other ineligibilities.

As stated in the last report, issuance of certificate of practice to members in employment had been stopped effective from 1st June 1991 and the certificates of practice already issued to members in employment are not to be renewed after 31st March 1992 if such members continue to be in employment.

5.5 Guide to Company Secretary in Practice.

'A Guide to Company Secretary in Practice', a publication of the Institute, was revised and a new edition was brought out during the year under review.

5.6 Disciplinary cases pertaining to Members

During the year under review, there had been an increasing trend in the number of complaints against the Members alleging misconduct. The Council, after devoting considerable time in its meetings for considering the various complaints, referred a number of such cases to the Disciplinary Committee for enquiry. The Council had viewed very seriously the professional or other misconducts of members. The Council also decided that the gist of all Disciplinary cases relating to Members souuld be published in the monthly journal 'Chartered Secretary' for information of members.

6. PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND CONTINUING EDUCATION PROGRAMMES

6.1 As a part of professional development activities, six programmes were organised during the year as per details given in 'Appendix D' to the Report. The Institute also associated itself with the PHD Chamber of Commerce and Industry in various training programmes organised by it for potential/existing entrepreneurs in small scale sector.

6.2 A 30 minute video film on the 'Profile of a Company Secretary' has been produced highlighting the role, relevance and utility of the Profession for the benefit of potential employers/user organisations. The film sponsored by Modi Rubber Ltd. and Modi Xerox, has also been sent to various Regional Councils and Chapters for the purposes of career counselling.

7. PUBLICATIONS

7.1 'Chartered Secretary'

The monthly journal 'Chartered Secretary' published for the last twenty two years, has consistently maintained its prestige, quality and promptitude in providing the latest government notifications, legal decisions and informative articles, and is serving as an effective medium of communication. Along with the June 1991 issue of the journal, a supplement was brought out on the Company Law Board Regulations 1991. The September 1991 issue was a Special Issue on the Union Budget 1991-92 and it also carried the 11th Annual Report (1990-91) of the Institute by way of a supplement.

7.2 Guidance Notes

For any professional to survive in the fast evolving economic scenario it is a must to continuously update his knowledge, and to make every effort on a sustained basis, to adapt to the increasing demands on his acumen. Alongside creating a significant place for the profession in the corporate world effort has been made to ensure that members adhere to the highest standards of professional conduct and ethics. To enable them to effectively discharge their professional responsibilities, the Institute has been bringing out Guidance Notes. During the year under review, Guidance Notes on the following topics were published :

(a) Secretarial Audit.

(b) Pre-certification of documents required to be filed with the Registrar of Companies.

7.3 Brochures

In certain quarters, still a Company Secretary is considered to be only a Company Law Secretary. There is, therefore, a felt need to create greater awareness in the corporate sector, of the numerous and wide ranging services a company secretary in practice can render and also apprise small entrepreneurs of the utility of a company secretary in managing the affairs of their organisations and in complying with the requirements of various statutory provisions. With this end in view, two brochures on the role of Company Secretary are under finalisation.

(a) Company Secretary in Practice.

(b) Company Secretary for Small and Tiny Sector.

7.4 Manual of Company Secretarial Practice

The work on the loose-leaf Company Secretaries' Handbook intended to cover both substantive law and practical notes and to serve as an authentic reference manual on various aspects of Company Law and related provisions of other laws like Securities Contracts (Regulation) Act; Foreign Exchange Regulation Act; Income-tax Act, MRTP Act, etc., is in progress. However, due to a number of amendments that have been effected recently and also in the offing consequent upon the liberalisation policy adopted by the Government, the finalisation of publication of the Manual has been deferred for the time being.

7.5 Investor Guidance Series

In continuation of the efforts of the Institute to educate the lay investor on the intricacies of the capital markets, the rights of the investor and the remedies available to him in case of any grievances, the Institute, during the year, brought out a third publication titled "Investment Decision Making by a Lay Investor." Considering the importance of the booklets to investors and the need to make them available to a wider section of the investor population, it is proposed to get the publications under the series, translated in regional languages. Accordingly, all the three following publications are being updated and revised, or translation into Gujarati and Hindi languages :

(a) Law and procedure for transfer of shares listed on a recognised stock exchange;

(b) Law and procedure for compulsory repayment of company deposits; and

(c) Investment decision making by a lay investor.

It is also proposed to bring out further publications under the Investor Education Series in areas such as, Public Issues of Securities, Capital Markets, Mutual Funds, etc.

7.6 Other Publications

The Directorate of Studies, Research and Publications is presently finalising the research study on "Director's Replies to Qualifications in Auditor's Report". The study has been comprehensively carried out, incorporating the comments and suggestions received from a cross section of investors, professionals and financial experts in the recommendations of the Research Study, to ensure better disclosure and compliance of the provisions of law.

8. EXPERT ADVISORY GROUP

The Expert Advisory Group constituted earlier under the Chairmanship of Justice P. N. Bhagwati, former Chief Justice of India, continues in office to render expert advisory services to members on intricate problems relating to Company Law, Industries (Development & Regulation) Act (IDRA), Securities Contracts (Regulation) Act (SCRA), Monopolies and Restrictive Trade Practices Act (MRTPA), Foreign Exchange Regulation Act (FERA) and Capital Issues (Control) Act (CICA).

9. CORE GROUP OF EXPERTS

9.1 A Core Group of Experts specialising in Company Law, IDRA, SCRA, MRTPA, FERA and CICA was constituted during the year under review for eliciting comments from members/experts for finalisation of representations to the Government, Stock Exchange(s), Committees/Study Groups constituted by the Government and other Institutions. The Regional Sub-groups have also been constituted to seek comments of members/experts at the regional levels for assisting the Core Group at Headquarters.

9.2 During the period under report, comments/suggestions/representations were finalised and sent on the following subjects :

(a) Existing guidelines issued by the Controller of Capital Issues—submitted to Pherwani Committee.

(b) Existing structure of Direct and Indirect Taxes—submitted to Tax Reforms Committee headed by Dr. Raja J. Chelliah.

(c) SEBI's draft paper on Insider Trading Regulations.

(d) Proposal of Ministry of Environment and Forests to introduce Environmental Audit for Companies—submitted to the Ministry of Environment and Forests.

(e) Compounding of offences by companies—submitted to the Department of Company Affairs.

(f) SEBI's consultative paper on Regulations for Registrars to the Issue and Securities Transfer Agents.

(g) Periodicity/reductions of various returns required to be filed with the Registrar of Companies (ROC).

(h) Prescription of one time annual fee in Schedule X to the Companies Act.

(i) Pre-budget Memorandum—Submitted to the Ministry of Finance.

10. RECOGNITIONS TO THE PROFESSION

The following recognitions have been secured for Company Secretaries during the year under report :

(a) As stated earlier, Secretarial Audit of assisted companies of Gujarat Industrial Investment Corporation Limited, Ahmedabad, for companies not having a full time company secretary; Secretarial Audit on an annual basis of all assisted companies of Arunachal Pradesh Industrial Development and Financial Corporation Ltd., Naharlagun.

(b) Certification of Powers of Directors to enter into agreements, borrowing limits of a company under Section 293 (1) (d), list of members, exemption to proposed borrowing under the Capital Issues (Exemption) Order 1969, and copies of resolutions to be furnished to financial institutions by the Arunachal Pradesh Industrial Development and Financial Corporation Ltd., Naharlagun.

(c) Assignments for certification of documents relating to charges by nationalised banks including Bank of Baroda, State Bank of India, Bharat Overseas Bank Limited, Indian Overseas Bank, Corporation Bank, Bank of Mysore, Andhra Bank and State Bank of Indore.

(d) To issue certificates for Exchange Control purposes as prescribed by Reserve Bank of India in support of certain applications under the Exchange Control Regulations.

(e) For doing Ph.D course in Corporate Secretaryship, Commerce and Bank Management subjects by Alagappa University, Karaikudi.

11. EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

The Institute continues to publicise the significant role played by its members through interaction with Chambers of Commerce, Bureaux of Public Enterprises and other bodies. The Institute is also continuing its efforts with the Department of Banking for securing career progression of members working in banks and also for appointment of our members to Finance, Accounts, Legal and Merchant Banking Divisions of various banks. The Institute, its Regional Councils and Chapters continue to provide employment services to companies under the Employment Service Scheme furnishing lists of members for employment. During the year under review, 78 companies availed of the facility of obtaining panel of suitable candidates from the Employment Service

Scheme maintained by the Institute. Such companies have been encouraged to advertise in 'Chartered Secretary' for obtaining a wider panel of candidates.

12. TWENTIETH NATIONAL CONVENTION AND FIRST INTERNATIONAL CONVENTION

It has been decided by the Council to hold the National Convention in October/November each year. Accordingly, the 20th National Convention is to be held from 12th to 14th November 1992 at Calcutta. As the Institute enters the Silver Jubilee Year, it has also been decided to celebrate the event befittingly. It is also proposed to hold the First Internationaal Conference of Corporate Secretaries, synchronising with the National Convention.

13. RE-CODIFICATION OF THE COMPANIES ACT

13.1 As stated in the last report, a Workshop on Re-codification of the Companies Act, 1956 was organised by the Institute on 14th April 1991. Subsequently, a Report on the Workshop was submitted to the Department of Company Affairs for its consideration and further necessary action. At the Workshop it was recommended that two Sub-groups of the Institute should be constituted to review the provisions of the Companies Act on 'Managerial Remuneration' and 'Inter-Corporate Loans and Investments'. These Sub-groups, comprising of senior members of the Institute and officials of the Department of Company Affairs made an indepth examination of the provisions contained in the Companies Act in the light of the various suggestions received for rationalisation and simplification of these provisions. The Reports of the Sub-groups were submitted to the Department of Company Affairs for its consideration during the year under review.

13.2 On the basis of the consensus emerging from the Workshop, the Institute also submitted a comprehensive note on (i) the amendments required to encourage the role of professionals in corporate management; (ii) prescription of limits under section 383A; (iii) formulating administrative guidelines under section 383A (1A) for deciding cases of hardship; and (iv) introduction of Secretarial Compliance Report by a Secretary in whole time practice for smaller companies.

14. PERSPECTIVE PLAN

A Sub-Committee comprising of the Secretary & Executive Director, Directors and other senior officers of the Institute has been constituted to consider and formulate an action plan for implementation of short term measures contained in the Report of the Perspective Planning Group. The action plan will be monitored by the Council and other Committees at regular intervals. The items pertaining to the Regional Councils under the Perspective Plan have been forwarded to them for implementation at Regional/local levels.

15. POST MEMBERSHIP QUALIFICATION COURSE

The draft regulations as approved by the Council for introduction of Post Membership Qualification were sent to the Government for approval. Further information as required by the Government is being furnished. On approval, the Post Membership Course would be offered to members with the prescribed experience.

16. SYLLABUS REVIEW COMMITTEE

The Syllabus Review Committee constituted by the Council on 1st January 1991 submitted its report recommending rationalisation of the course contents of the Company Secretaryship course, and for introduction of Foundation Course to attract students to the professional course, immediately on clearing the 10+2 Examinations. The Report of the Committee has since been accepted by the Council and the draft Regulations for implementation of the recommendations thereof are presently under finalisation.

17. AMENDMENTS TO THE ACT AND REGULATIONS

The Regulations Committee appointed by the Council during the year 1990-91 has submitted its recommendations on some amendments considered necessary in the Company Secretaries Act, 1980 and the Company Secretaries Regulations, 1982 for consideration of the Council before the same are submitted to Government for approval. It is also proposed to approach the Government for its approval to change the name of the Institute as 'The Institute of Corporate Secretaries and Administrators of India' in order to reflect aptly the role played by the Company Secretaries in the Corporate World.

18. STUDENTS SERVICES

18.1 Registration

During the year under report, 13,613 students were registered as compared to 12,161 students registered during the previous year. The number of students whose registration was current at the end of the year was 55,442 including those whose registration was extended under Regulation 21(3). Appendix 'E' to the Report gives the statistics of the number of registered students as well as those who have completed the Intermediate and Final examinations.

18.2 Coaching

All the students registered during the year were enrolled for postal tution. 11,142 coaching completion certificates were issued during the year and 98,105 response sheets were evaluated and returned to students. As a step in the direction of decentralisation of activities relating to student services, during the year, the SIRC has started local evaluation of response sheets submitted by students in Intermediate and Final Stages, while the EIRC has started local evaluation of response sheets of Intermediate students. NIRC and WIRC are expected to start this service shortly.

18.3 Up-dating of Study Materials

The revision of Study Materials on all subjects was completed during the year. Four Supplements, one each on Company Law and Practice-I Company Law and Practice-II, Economic and Other Legislations and Advanced Secretarial Practice relating to Economic & Other Legislations were brought out during the year to up-date the study material. Test Papers for the subjects under revision were also changed and corresponding suggested answers brought out.

18.4 Study Material in Hindi

A beginning was made by publishing Hindi Study Material relating to Company Law and Practice-II of the Intermediate course in 1990-91. Efforts are being made to gradually bring out other study materials (including guideline answers and suggested answers) also in Hindi. For translation work, assistance is being taken from the Central Bureau of Translation, Official Languages Department, Ministry of Home Affairs, New Delhi.

18.5 Guideline Answers and Topic-wise Questions

Guideline Answers for December 1991 examinations, were brought out group-wise for the benefit of students. Topic-wise questions on all subjects of Intermediate and Final examinations were also brought out during the year under review.

18.6 Establishment of Oral Tuition Centres

During the year under review, three new Oral Tuition Centres were established at Nasik, Rourkela and Calicut. Thus, 32 oral coaching centres recognised by the Institute were functioning during the year under review.

18.7 'Student Company Secretary'

The Institute regularly brings out 'Student Company Secretary', a monthly bulletin for the benefit of students pursuing the company secretaryship course, mainly to apprise and update them of legislative amendments, studies and information relating to administration of student services and practical training requirements.

18.8 Lectures on Audio Tapes

Three more audio tapes were prepared and made available for sale at subsidised prices to students and members on the following topics :

(i) MODVAT (An input duty relief scheme under Central Excise Law);

(ii) Some Important Aspects of Trade Marks Law-I; and

(iii) An Overview of Patents Act, 1970.

The respective transcripts incorporating therein the citation of cases and relevant statutory provisions were also published. The response from students and members to the audio tapes has been encouraging.

18.9 Library Facilities

During the year under review, books worth Rs. 68,744.65 were purchased for adding to the Institute's libraries under the Chapter Library Assistance Scheme. All the Chapters have now been equipped with their own libraries. Satellite libraries, to cater to students at places where there are no Chapters but where there are at least 100 students and 10 members, have been established at Gurgaon, Ambala, Nasik, Calicut and Ganjam (Orissa). The Postal Library Scheme has been introduced to be operated from the four Regional Offices of the Institute to be implemented in two phases. In the first phase, the facility has been extended to the Final level students only not having any library of the Institute within 100 Kms. of their residential or professional addresses. The second phase, pertaining to supply of books to the Intermediate students will be implemented after monitoring the functioning of the first phase and evaluating the feasibility of the scheme.

18.10 Headquarters Library

The Institute also maintains a library with uptodate information in the headquarters for research and reference purposes.

19. CAREER COUNSELLING

A good number of career counselling programmes were held during the year by the headquarters directly and also through its Regional Councils and Chapters. While providing career guidance about the company secretaryship course, use was made of exhibition material, charts, posters, brochures and transparencies to create awareness about the professional course among college students. Articles and write-ups were also published in a number of newspapers and professional journals apart from a broadcast on All India Radio. Necessary information about the course was also provided to all the University Employment Information and Guidance Bureaux in the country. These efforts are aimed at creating greater awareness about the Company Secretaries profession even in remote areas. In order to create awareness among college students about prospects of pursuing Company Secretaryship course, the Institute, also approached the Lions and Rotary Clubs and meetings were organised in some places in collaboration with them.

20. EXAMINATIONS

20.1 Conduct of Examinations

During the year, the Institute conducted two examinations in June and December, 1991 in 36 centres in India and one centre abroad in Dubai. Commencing from December 1991 session, Jodhpur centre was reopened on an experimental basis. In June, 1991 session, 384 and 168 candidates completed the Intermediate and Final examinations respectively, while the corresponing figures for December, 1991 session were 517 and 281.

20.2 Statistics on Examinations

The statistics relating to candidates appeared and passed and their pass percentage in June and December 1991 examinations, are given in Appendix 'F' to this report.

20.3 Hindi Medium in Examinations

In pursuance of the policy to gradually promote the use of Hindi in company secretaries examinations, the Institute has successfully allowed use of Hindi as an alternative medium for all its examinations. The question papers of Preliminary examinations and Group-I subjects of Intermediate examination were printed in Hindi in addition to the English medium.

20.4 All India Prize Awards

Manoj Jain and Ashis Gupta, both from Northern Region, won the "President's Gold Medal" for outstanding performance in Final examinations held in June and December, 1991 respectively.

'Pt. Nehru Birth Centenary Prize' was won by Rajeev Arora from Northern Region. Navin Kumar Parsuramka and Sanjay Gupta, both from the Eastern Region, bagged the "President's Silver Medal" for their outstanding performance in the Intermediate examinations held in June and December, 1991 respectively.

20.5 Scholarship and Financial Assistance to Students

According to the existing Merit Scholarship Scheme, ten scholarships in each session were awarded to eligible meritorious students for June, 1991 and December, 1991 examinations. Similarly, financial assistance under the Merit-cum-Means Assistance Scheme was granted to eligible candidates in December, 1990 and June, 1991 sessions of examination.

20.6 Merit Certificate

Merit Certificates were awarded to first ten top rank holders in the Intermediate and Final examinations held in June and December, 1991 and their particulars were published in "Student Company Secretary", and subsequently in "Chartered Secretary".

21. MANAGEMENT|PRACTICAL| APPRENTICESHIP TRAINING

21.1 Empanelment

During the year under report, the number of companies recognised for imparting training was as under :

Region	Management Training	Praetieal Training
East	7	.7
North	29	28
South	9	20
West	20	23
	65	78

In addition, 24 company secretaries in whole-time practice were registered to impart apprenticeship training. The statistics of number of companies recognised for training, company secretaries empanelled for providing apprenticeship training and number of students sponsored for undergoing various kinds of training are given in Appendix 'G' to the Report.

21.2 Monitoring and Strengthening of Training

Efforts were continued by Head Office and Regional Councils|Chapters during the year to increase the number of companies registered for imparting management|practical training. At present it has been possible to cater to the needs of students for undergoing training with the existing number of companies and practising company secretaries recognised.

21.3 Secretarial Modular Training Programme (SMTP)

During the year under report, 17 SMTPs were held, 3 each by SIRC, NIRC & WIRC, 2 each by EIRC & Bangalore Chapter and one each by Hyderabad, Chandigarh, Pune and Ahmedabad Chapters, which were attended in all by 506 candidates.

During the year, the four Modules|course material of SMTP were revised and re-printed, incorporating therein various legislative changes and also based on the feed back received from candidates who participated in earlier programmes. More emphasis was given to case studies, group discussions, use of audio-visual aids, visits to Stock Exchange, Share Department, EDP Centres and AGMs to make SMTPs more effective.

22. ACCOUNTS

22.1 Income and Expenditure Account

The financial results for the year show a surplus of Rs. 1.74 lacs as compared to a surplus of Rs. 8.16 lacs for the previous year. The decrease in surplus is mainly due to income being fixed and the expenditure increasing every year due to inflationary trends.

22.2 Capitalisation of fee

Following the existing practice, a sum of Rs. 2.33 lacs being the entrance fee received from Associate & Fellow members has been capitalised. The capital reserve at the end of the year stood at Rs. 26.91 lacs as against the previous figure of Rs. 24.58 lacs.

22.3 Building Reserve

As per current practice, a sum of Rs. 0.69 lacs on account of interest accrued on fixed deposits earmarked for Building Fund has been appropriated directly to the Building Reserve Account. The capital payments to the tune of Rs. 5.11 lacs towards part of the cost of ICSI-NIRC Building and Chapters have been transferred to General Reserve. The Building Reserve shows a total of Rs. 3.76 lacs as compared to Rs. 9.76 lacs for the previous year.

22.4 General Reserve

The General Reserve which stood at Rs. 203.48 lacs at the end of previous year now stands increased to Rs. 229.07 lacs. It includes addition of surplus of Income over expenditure of Rs. 1.74 lacs for the year under report.

23. AUDITORS

M|s. Khanna & Annadhanam, Chartered Accountants, New Delhi were appointed as auditors of the Institute to audit the accounts for the year ended 31st March, 1992 pursuant to the requirements of section 18(4) of the Act. The auditors report is published herewith along with the Statements of Accounts.

24. LAND AND BUILDING

24.1 ICSI-NIRC Building

The construction work which was stuck up earlier due to certain unavoidable reasons, has now been re-started by awarding the contract to a new contractor. The work is in progress and is likely to be completed by early 1993.

24.2 Jaipur Chapter Building

The first phase of construction of Jaipur Chapter building has been completed and the new building was inaugurated by Hon'ble Union Minister of Communications Rajesh Pilot on 20th October, 1991. The activities of the Chapter, including conduct of oral coaching classes, are now carried on at the new office.

24.3 Pune Chapter Office premises

The work at Pune Chapter's own premises has been completed and the professional activities started in the premises from 10th February, 1992.

24.4 Ghaziabad Chapter Office premises

Ghaziabad Chapter has also taken possession of a MIG flat from Ghaziabad Development Authority and started functioning from there.

24.5 Goa Chapter Office premises

Goa Chapter is also in the process of taking possession of a newly built flat at Panaji. It is expected that after taking possession of the spacious premises, professional activities would be augmented.

24.6 Capital Grants and Loans by the Institute

Out of the limited resources of the Institute, the Council has so far given capital grants of Rs. 44.39 lacs and loans of Rs. 22.07 lacs to Regional Councils/Chapters which have acquired or are in the process of acquiring office premises worth Rs. 96.58 lacs. The Chapter have made or are making their own arrangements to raise the balance resources for completion of their building projects. The Council places on record its appreciation of the efforts undertaken by these Chapters to acquire their own office premises. Efforts are also required to be made by these Chapters to raise additional resources for proper furnishing and maintenance of the premises and to acquire modern office equipments for providing better services to local members and students.

25 COMPANY SECRETARIES BENEVOLENT FUND

The Company Secretaries Benevolent Fund, registered as a Society by the Council in 1976, now has a strength of 1165 life members as on 31st March, 1992. As per recent amendment to the Bye-laws of the Fund, members of the Institute are eligible for life membership of the Fund after subscribing Rs. 500. The capital reserve and general reserve of the Fund amount to Rs. 5.12 lacs and Rs. 3.92 lacs respectively, as on 31st March, 1992.

26. EMPLOYEE WELFARE MEASURES

The Employees' Club, promoted in 1973, received annual financial assistance from the Council for its activities. During the year, advances amounting to Rs. 2.33 lacs were granted to employees for purchase of scooters, construction of houses, etc. Apart from helping the employees to have their own Cooperative Group Housing Society, the Council has also assisted the promotion of Employees' Benevolent Fund for which grant of Rs. 10,000 has been made from the surplus of annual National Conventions every year, for the last six years.

27. ACKNOWLEDGEMENT

The Council places on record its gratitude to the Ministers and officers of the Central Government, particularly, the Department of Company Affairs and Securities and Exchange Board of India for their trust, guidance and support to the development of the profession and the activities of the Institute during the year. The Council is also grateful to various State Governments, financial, industrial and investment institutions, the corporate sector in general, and various Chambers of Commerce and Trade Associations and other agencies which have been increasingly inclined to avail of the services of members of the Institute and recognise their expertise in the field of corporate laws, finance, management and allied areas. The Council also places on record its deep appreciation of the assistance and cooperation of Regional Councils and Chapters and of the commitment and devotion to duty exhibited by all levels of officers and staff of the Institute.

For and on behalf of the Council
of the Institute of Company Secretaries of India

P. T. RANGAMANI,
President

New Delhi
Date : 20 August, 1992

APPENDIX-A

COMPOSITION OF STANDING AND NON-STANDING COMMITTEES AND ADVISORY BOARDS/GROUPS

I STANDING COMMITTEES

1. Disciplinary Committee

P. T. Rangamani	Chairman
Sudha Pillai	Member
U. K. Chaudhary	Member

2. Examination Committee

Mahesh Shah	Chairman
K. R. Chandratre	Member
A. K. Modi	Member

3. Executive Committee

P. T. Rangamani	Chairman
Mahesh Shah	Member
Sudha Pillai	Member
Pramod S. Shah	Member
Harish K. Vaid	Member

II NON-STANDING COMMITTEES

4. Professional Development Committee

P. T. Rangamani	Chairman
Mahesh Shah	Member
Bipin S. Acharya	Member
U. K. Chaudhary	Member
A. K. Modi	Member
T. V. Padmanabhan	Member
Pramod S. Shah	Member
Harish K. Vaid	Member

5. Training & Educational Facilities Committee

Mahesh Shah	Chairman
Bipin S. Acharya	Member
K. R. Chandratre	Member
O. P. Dani	Member
A. K. Modi	Member
T. V. Padmanabhan	Member
M. S. Raghavan	Member

6. Regulations Committee

P. T. Rangamani	Chairman
K. R. Chandratre	Member
O. P. Dani	Member
M. S. Raghavan	Member
A. K. Sen	Member

7. Co-ordination Committee

(for-co-ordination with ICAI&ICWAI)

P. T. Rangamani	Chairman
Mahesh Shah	Member
O. P. Dani	Member
A. K. Modi	Member
A. K. Sen	Member
Pramod S. Shah	Member

8. ICSI—NIRC Building Committee

J. Sridharan	Chairman
N. K. Jain (Chairman, NIRC)	Vice-Chairman
V. K. Poddar	Member
U. K. Chaudhary	Member
O. P. Dani	Member
Harish K. Vaid	Member
T. P. Subbaraman	Member
Virender Ganda (Vice-Chairman, NIRC)	Member
R. Rajagopalan (Secy., NIRC)	Member
Ashok Haldia (Treasurer, NIRC)	Member
Sunil Goyal	Member
H. S. Grover	Member
Paramjeet Singh	Member
N. K. Aggarwal	Secretary to the Committee

III ADVISORY BOARDS|GROUPS

9. Editorial Advisory Board

T. N. Pandey	Chairman
Bipin S. Acharya	Member
L. P. Asthana	Member
S. Balasubramanian	Member
S. Bhavani	Member
U. K. Chaudhary	Member
D. C. Jain	Member
T. S. Krishna Murthy	Member
T. V. Narayanaswamy	Member
T. P. Subbaraman (Editor & Publisher)	Member

10 Expert Advisory Group

Justice P. N. Bhagwati (Retd.)	Chairman
R. N. Bansal	Member
Pradeep Bhalla	Member
V. P. Goel	Member
S. S. Kumar	Member
M. R. Luthra	Member
T. V. Narayanaswamy	Member

APPENDIX—B

FINANCIAL POSITION OF REGIONAL COUNCILS AND NUMBER OF STUDENTS/MEMBERS IN EACH REGION

Item	EIRC	NIRC	SIRC	WIRC
(a) Financial Position:				
Surplus for the year 1991-92 (Rs.)	28,917	2,08,695	55,077	1,26,295
Reserves and Surplus as on 31-3-1992 (Rs.)	6,08,947	11,83,513	9,04,225	7,13,495
(b) No. of Students and Members :				
Students :				
As on 31-3-1992	10,907	15,014	15,780	13,681
As on 31-3-1991	9,903	14,250	13,962	12,696
Members :				
As on 31-3-1992	1,182	2,034	2,125	2,966
As on 31-3-1991	1,134	1,878	1,998	2,813

APPENDIX—C

TABLE OF STATISTICS ON MEMBERS

Part I—Growth of Members

Year	Total number of			Annual Growth over previous year		Removal from Register			% of total number of removals to total membership	No. of C.P. Holders	% of C.P. Holders to total membership
	Associate members	Fellow Members	Total (2+3)	Absolute	%	Due to non-payment	Due to Death, etc.	Total (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A											
1986-87	4648(78.25)	1292(21.75)	5940(100)	335	5.98	68(82.92)	14(17.08)	82(100)	1.38	879	14.80
1987-88	4947(78.09)	1388(21.91)	6335(100)	395	6.65	76(86.36)	12(13.64)	88(100)	1.39	1065	16.81
1988-89	5179(77.66)	1490(22.34)	6669(100)	334	5.27	196(92.02)	17(7.98)	213(100)	3.19	1192	17.87
1989-90	5657(77.95)	1600(22.05)	7257(100)	588	8.81	100(91.74)	9(8.26)	109(100)	1.50	1225	16.88
1990-91	6095(77.91)	1728(22.09)	7823(100)	566	7.79	116(89.92)	13(10.08)	129(100)	1.64	1188	15.19
1991-92	6364(76.61)	1943(23.39)	8307(100)	484	5.82	154(90.58)	16(9.42)	170(100)	2.05	1102	13.26
B Absolute change (1986-87 to 1991-92)	1716(72.49)	651(27.51)	2367(100)					88			
C Percentage change (1986-87 to 1991-92)	36.92	50.38	39.84					107.3			
D Average Annual Growth Rate (%)	7.38	10.07	7.97					21.46			

Note: Figures in brackets are in percentage □ C.P. = Certificate of Practice.

Part II—Holders of Certificate of Practice

Year		During the year				Total Number of Members holding Certificate of Practice as on 31st March
		Issued	Renewed	Cancelled	Net Increase	
	1	2	3	4	5	6
A	1986-87	185	694	55	130	879
	1987-88	247	818	61	186	1065
	1988-89	258	934	131	127	1192
	1989-90	122	1103	89	33	1225
	1990-91	135	1053	216	—37	1188
	1991-92	105	997	209	—86	1102
B	Absolute change (1986-87 to 1991-92)					223
C	Percentage change (1986-87 to 1991-92)					25.36
D	Average Annual Growth Rate (%)					5.07

APPENDIX-D

CONVENTION/WORKSHOP/PROFESSIONL DEVELOPMENT PROGRAMMES

1. 19th National Convention on "Strategies for Industrial Growth" held on 11-13th April, 1991 at New Delhi (was earlier scheduled for 7-9th February, 1991)
2. Workshop on Recodification of Companies Act held on 14th April, 1991 at New Delhi—report submitted on 13-5-1991 to Department of Company Affairs on the basis of the deliberations of the Workshops.
3. 'Certification of Annual Returns and other Documents' held on 10th May, 1991 at Bombay.
4. 'Procedure for appearing before Company Law Board & MRTP Commission held on 28th June, 1991 at New Delhi.
5. Joint programme with DPE on the theme "Some Important Legal & Procedural Aspects Relating to Govt. Companies" held on 8-9th August, 1991 at Bangalore.
6. Orientation Programme in "Central Excise—Law and Procedures" held on 20-24 September, 1991 at New Delhi.
7. Joint Programme with DPE on the theme" Current Issues in Tax and Economic Legislations" held on 27-28th November, 1991 at Pune.
8. ICSI-ICAI Joint Programme on "Corporate Finance & Law—Certain Aspects' was to be held on 14-15th February, 1992 at Hyderabad (Programe was postponed).

APPENDIX-E

STATISTICS ON STUDENTS

(1986-87 to 1991-92)

	Year	Registered Students		Candidates who completed	
		Total	Current	Intermediate	Final
A	1886-87	1,26,348	51,020	1,681	510
	1987-88	1,34,667	50,519	1,394	646
	1988-89	1,45,051	51,459	1,234	824
	1989-90	1,57,175	52,335	1,151	779
	1990-91	1,69,337	50,860	709	908
	1991-92	1,82,950	55,442	901	449
B	Absolute change (1986-87 to 1991-92)	56,602			
C	Percentage Change (1986-87 to 1991-92)	44.79			
D	Average Annual Growth Rate (%)	8.95			

APPENDIX-F

STATISTICS ON STUDENTS APPEARED AND PASSED IN EXAMINATIONS

I—June 1991 Session

Examination	Appeared	Passed	Pass Percentage
PRELIMINARY	72	2	2.77
INTERMEDIATE*			
GROUP-I	2641	424	16.05
GROUP-II	3764	647	17.19
FINAL**			
GROUP-I	930	334	35.91
GROUP-II	956	407	42.57
GROUP-III	1201	193	16.07

* 1091 candidates appeared for both groups out of whom 96 candidates passed both groups (6.32 PER CENT)
** 387 candidates appeared for all groups out of whom 20 candidates passed all groups (5.16 PER CENT)

II—December 1991 Session

Examinations	Appeared	Passed	Pass Percentage
PRELIMINARY	63	5	7.93
INTERMEDIATE*			
GROUP-I	2933	581	19.81
GROUP-II	4231	705	16.66
FINAL**			
GROUP-I	972	400	41.15
GROUP-II	1046	426	40.72
GROUP-III	1442	401	27.81

* 1428 candidates appeared for both groups out of whom 96 candidates passed both groups (6.72 PER CENT)

** 356 candidates appeared for all groups out of whom 33 candidates passed all groups (9.27 PER CENT)

APPENDIX-G

STATISTICS ON TRAINING TO STUDENTS

(1987-88 TO 1991-92)

Sl. No.	Training	No. of Companies/Company Secretaries recognised as on 31st March					No. of students sponsored during the year ended 31st March				
		1988	1989	1990	1991	1992	1988	1989	1990	1991	1992
1.	Management Training	262	371	460	548	613	74	170	125	129	123
2.	Practical Training	661	762	850	957	1035	432	542	519	664	625
3.	Apprenticeship Training with Company Secretary inpractice	32	67	86	101	125	40	80	82	68	87

KHANNA & ANNADHANAM

CHARTERED ACCOUNTANTS

706, AKASH DEEP, 26-A, BARAKHAMBA ROAD

P.O. BOX 648, NEW DELHI 110 001

AUDITORS REPORT

We have audited the Balance Sheet of the Institute of Company Secretaries of India as at 31st March, 1992 and also the annexed Income and Expenditure Account for the year ended on that date. We report that:

1. We have obtained all information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

2. the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account dealt with by the report are in agreement with the books of account; and

3. in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the statments give a true and fair view:

(i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs as at 31st March, 1992; and

(ii) in the case of the Income and Expenditure Account, of the Surplus for the year ended on that date.

For KHANNA & ANNADHANAM
Chartered Accountants

Sd/-
(B.J. SINGH)
PARTNER

Place : New Delhi
Dated: July 14, 1992

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 1992

	Schedule	31st March, 1992		31st March, 1991	
		(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
SOURCES OF FUNDS					
Capital Reserve	1		26,90,725		24,58,225
Building Reserve	2		3,75 536		9,76,125
General Reserve	3		2,29,06,743		2,03,48,453
			2,59,73,004		2,37,82,803
APPLICATION OF FUNDS					
Fixed Assets	4				
Gross Block		2,02,84,295		1,78,14,515	
Less Depreciation		50,68,184		43,26,927	
			1,52,16,111		1,34,87,588
Investments	5		82,72,000		1,00,72,000
Current Assets, Loans and Advances					
Current Assets	6	52,86,569		49,69,282	
Loans and Advancess	7	1,00,37,872		81,81,149	
		1,53,24,441		1,31,50,431	
Less: Current liabilities and Provisions	8	1,28,39,548		1,29,27,216	
			24,84,893		2,23,215
ACCOUNTING POLICIES	15		2,59,73,004		2,37,82,803

Notes: 1. Application for exemption u/s 10(23C) (iv) of the Income Tax Act, 1961 in respect of the year ended 31st March, 1989 and for subsequent years is pending reconsideration before the Government of India. Also that an application for exemption u/s 10(22) of the Income Tax Act, 1961 in respect of the year ended 31st Mareh, 1991 has been lodged with the Director of Income Tax (Exemptions). Pending final decisions in this respect, no provision for taxation has been made in the accounts.

2. Upto 31st March, 1991 provisions for Staff Gratuity was being made on the basis of actuarial valuation. During the year, a policy under Group Gratuity Scheme of the Life Insurance Corporation of India (LIC) has been taken. The LIC has worked out a premium of Rs. 10,99,350 to cover liability upto 19th March, 1992. This is payable in five annual equated instalment of Rs. 2,19,870. First instalment has been paid in March, 1992 and the balance amount shown as 'Current Liabilities'. The difference of Rs 4,14,724 being the excess provision created in the books upto 31st March, 1991 and the amount payable to LIC has been written back to General Reserve.

3. In respect of new building under construction at Prasad Nagar, New Delhi the Contractor has preferred claims against the Institute aggregating to Rs. 57.21 lacs for work done and for damages towards termination of contract. The Institute had also lodged counter-claim amounting to Rs. 410 lacs. As the matter is pending in arbitration and/or before the High Court of Delhi, no provision thereof has been made in the accounts.

4. Previous year figures have been regrouped wherever necessary.

As per our report of even date
For KHANNA AND ANNADHANAM
Chartered Accountants

Sd/-
(B.J. SINGH)
PARTNER
New Delhi
July 14,1992

Sd/-
(T.P. SUBBARAMAN)
Secretary

Sd/-
(MAHESH SHAH)
Vice-President

Sd/-
(P.T. RANGAMANI)
President

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1992

	Schedule	1991-92 (Rs.)	1990-91 (Rs.)
INCOME			
Fees	9	1,92,14,180	1,76,10,099
Subscription to Journal/Bulletins and Advertisements		25,45,241	22,34,193
Sale of publicationt		12,53,219	12,41,137
Interest on Investments		18,87,590	15,81,579
Surplus from Convention and Programmes	10	1,53,844	7,822
Donation for Video Film 1,00,000			—
Less : Expenses 1,00,000			
Other Income	11	43,2,68	63,010
		2,50,97,342	2,27,37,840
EXPENDITURE			
Grants to Regional Councils/Chapters		13,99,625	12,63,114
Regional Offices		2,91,698	2,59,125
Establishment	12	97,45,611	87,66,708
Postal Tuition		32,42,078	31,20,709
Publications and Office Stationery		11,89,491	10,18,562
Journal/Bulletin		24,16,610	20,39,406
Travelling and Conveyance		7,71,307	8,52,353
Examination Expenses		14,74,284	13,89,515
Commfinication Expenses	13	14,25,602	12,43,967
Student Scholarships & Awards		32,014	37,185
Depreciation	4	7,87,755	6,49,111
Provision for Bad and Doubtful Debts		14,070	14,060
Professional Training and Development		31,835	29,306
Election Expenses		3,59,973	—
Other expenses	14	17,41,647	12,38,582
Excess of Income over Expenditure transferred to General Reserve		1,73,742	8,16,137
		2,50,97,342	2,27,37,840

As per our report of even date
Fo KHANNA AND ANNADHANAM
Chartered Accountants

Sd/-
(B.J. SINGH)
PARTNER
New Delhi
July 14, 1992

Sd/-
(T.P. SUBBARAMAN)
Secretary

Sd/-
(MAHESH SHAH)
Vice-President

Sd/-
(P.T. RANGAMANI)
President

SCHEDULE 1

CAPITAL RESERVE

		31st March, 1992 (Rs.)		31st March, 1991 (Rs.)	
As per last Account			24,58,225		22,38,425
Add : Entrance Fees					
Associate Members		1,83,300		1,92,000	
Fellow Members		49,200		27,800	
			2,32,500		2,19,800
			26,90,725		24,58,225

SCHEDULE 2

BUILDING RESERVE

		31st March, 1992 (Rs.)		31st March, 1991 (Rs.)	
As per last Account			9,76,125		23,53,307
Add : Contribution from Regional Councils/Chapters		15,56,831		7,46,698	
Interest on Fixed Deposits		68,785		1,41,053	
			16,25,616		8,87,751
			26,01,741		32,41,058
Less : 1. Transfer to General Reserve					
— Contribution from Regional Councils/Chapters		15,56,831		7,46,698	
—Construction cost borne by the Institute		5,11,439		15,18,235	
		20,68,270		22,64,933	
2. Reduction in cost of Regional Councils'/ Chapters' land/building		1,57,935	22,26,205		22,64,933
			3,75,536		9,76,125

SCHCDULE 3

GENERAL RESERVE

		31st March, 1992 (Rs.)		31st March, 1991 (Rs.)	
As per last Account			2,03,48,453		1,80,28,806
Add : Transfer from Building Reserve			20,68,270		22,64,933
Excess provision for					
(a) grants		—		1,58,000	
(b) Property tax		—		8,482	
(c) Gratuity liability		4,14,724		—	
			4,14,724		1,66,482
Surplus as per Income & Expenditure A/c			1,73,742		8,16,137
			2,30,05,189		2,12,76,358
Less : Adjustment due to change in the basis of accruing interest on Bonds of Public Sector Undertakings—See Note 1 on Balance Sheet.		—		9,27,905	
Adjustment of additional allocation of surplus of 18th Convention to Bangalore Chapter held in earlier year		98,446		—	
			98,446		9,27,905
			2,29,06,743		2,03,48,453

FIXED ASSETS

Items	GROSS BLOCK			
	Cost as on 1-4-91	Additions during the year	Sales/Adjustment during the year	Total cost as on 31-3-92
Land	24,23,838	—	1,57,935	22,65,903
Buildings	86,38,614	21,86,644	—	1,08,25,258
Cycle/Scooter Shed	19,993	—	—	19,993
Buildings (under constrn.)	24,85,497	5,28,691	6,42,065	23,72,123
Furniture & Fixtures	11,74,473	57,516	1,449	12,30,540
A/C Installation & Coolers	9,35,727	—	—	9,35,727
Computer	83,600	1,91,999	—	2,75,599
Electrical Equipment	1,86,890	13,370	—	2,00,260
Office Equipment	8,41,163	2,45,596	384	10,86,375
Other Equipment	19,804	344	—	20,148
Library Books	8,86,160	72,346	49,643	9,08,863
Vehicle	1,18,756	24,750	—	1,43,506
This Year Total	1,78,14,515	33,21,256	8,51,476	2,02,84,295
Previous Year Total	1,53,27,674	25,01,043	14,202	1,78,14,515

SCHEDULE 4

(Rs.)

DEPRECIATION				NET BLOCK	
As on 1-4-91	For the year	Adjustment during the year	Total depreciation	As on 31-3-92	As on 31-3-91
—	—	—	—	22,65,903	24,23,838
17,06,667	4,55,930	—	21,62,597	86,62,661	69,31,947
19,472	174	—	19,646	347	521
—	—	—	—	23,72,123	24,85,497
6,76,065	55,555	1,076	7,30,544	4,99,996	4,98,408
6,12,268	48,519	—	6,60,787	2,74,940	3,23,459
23,199	37,860	—	61,059	2,14,540	60,401
89,027	16,684	—	1,05,711	94,549	97,863
5,39,798	82,013	160	6,21,651	4,64,724	3,01,365
11,193	1,342	—	12,535	7,613	8,610
6,05,817	69,661	45,262	6,30,216	2,78,647	2,80,344
43,421	20,017	—	63,438	80,068	75,335
43,26,927	7,87,755	46,498	50,68,184	1,52,16,111	1,34,87,588
36,90,609	6,49,111	12,793	43,26,927	1,34,87,588	—

SCHEDULE 5

INVESTMENTS

	31st March 1992 Rs.	31st March 1991 Rs.
Bonds of public Sector Undertakings	52,00,000	52,00,000
Fixed Deposits with Banks	30,00,000	48,00,000
Investments for Prize Awards (Per Contra)		
— Bonds of Public Sector Undertakings	40,000	40,000
— Fixed Deposits with Banks	32,000	32,000
	82,72,000	1,00,72,000

Note:—Bonds of public sector undertakings are shown at face value. Market value as on 31st March, 1992 is not available.

SCHEDULE 6

CURRENT ASSETS

	31st March, 1992 (Rs.)		31st March, 1991 (Rs.)	
STOCK				
(Value at cost as certified by the Management)				
Publications	5,92,779		4,94,202	
Paper	14,92,614		4,63,342	
Study Material	15,54,365		19,31,042	
Others	3,10,012		2,40,536	
		39,49,770		31,29,722
SUNDRY DEBTORS				
(a) Unsecured considered good				
Outstanding for more than six months	36,505		9,025	
Others	1,30,925		1,28,417	
	1,67,430		1,37,442	
(b) Unsecured considered doubtful	33,755		19,685	
Less : Reserve for Bad & Doubtful Debts	33,755		19,685	
		1,67,430		1,37,442
CASH AND BANK BALANCES				
Cash, Postal Stamps & Drafts in hand	1,22,998		93,975	
Bank Balances with Scheduled Banks in Savings Bank Accounts	10,46,371		16,08,143	
		11,69,369		17,02,118
		52,86,569		49,69,282

SCHEDULE 7

LOANS AND ADVANCES (UNSECURED-CONSIDERED GOOD)

	31st March, 1992 (Rs.)	31st March, 1991 (Rs.)
LOANS		
Regional Councils/Chapters for Buildings	12,32,468	14,09,475
ADVANCES		
Accrued Interest on Investments	64,09,869	50,63,840
Employees	10,73,879	11,84,698
Regional Councils/Chapters	1,72,568	72,148
Prepaid Expenses	2,88,975	1,77,430
Sundry Deposits	1,83,571	1,61,071
ICSI-NIRC Building Project	4,70,303	-
Other Advances	2,06,245	1,12,487
	1,00,37,872	81,81,149

SCHEDULE 8

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

	31st March, 1992 (Rs.)		31st March, 1991 (Rs.)	
CURRENT LIABILITIES				
Sundry Creditors	2,61,531		2,33,381	
Unexpired Students Registration Fee	63,38,862		58,73,195	
Grants payable to Regional Councils/Chapters	8,61,590		7,14,295	
Fee and other amounts received in Advance	71,800		6,44,232	
Donation Reallocated	1,40,777		3,05,488	
Expenses Payable	20,51,148		14,23,887	
Hospitalisation Scheme	32,050		23,414	
Deposits received for prize awards (per Contra)	72,000		72,000	
Benevolent Funds	70,360		38,775	
Gratuity Trust (LIC)	8,79,480		—	
		1,07,79,678		93,29,167
PROVISIONS				
Gratuity	—		16,66,806	
Pension	20,59,870		19,31,243	
		20,59,870		35,98,049
		1,28,39,548		1,29,27,216

	1991-92 (Rs.)		1990-91 (Rs.)	
MEMBERS				
Annual Fees	22,93,038		21,32,666	
Other Fees	16,500		16,775	
		23,09,538		21,49,441
STUDENTS				
Examination Fees	40,44,048		36,24,387	
Postal Tuition Fees	99,97,294		91,36,119	
Registration Fees	29,19,778		26,81,557	
Licentiate Fees	85,751		90,048	
Exemption Fees	11,76,031		9,71,639	
Other Fees	42,250		39,202	
		1,82,65,152		1,65,42,952
TOTAL FEES		2,05,74,690		1,86,92,393
Less : Allocated to Subscription for Journal/Bulletin		13,60,510		10,82,294
		1,92,14,180		1,76,10,099

SCHEDULE 10

INCOME FROM CONVENTION AND PROGRAMMES

		1991-92 (Rs.)		1990-91 (Rs.)	
RECEIPTS					
Delegate Fees		7,37,350		—	
Advertisements		1,10,700		—	
Excess provision written back		..		10,124	
Others		28,000		.	
			8,76,050		10,124
Less : Expenditure					
Direct					
Others	7,02,206				
	—		2,302		
		7,02,206		2,302	
Less : Allocation to Company Secretaries/ICSI Employees Benevolent Funds		20,000		—	
			7,22,206		2,302
			1,53,844		7,822

SCHEDULE 11

OTHER INCOMES

	1991-92 (Rs.)	1990-91 (Rs.)
Interest on Staff Advances	14,618	22,789
Surplus on sale of Fixed Assets	—	3,789
Miscellaneous Income	28,650	36,432
	43,268	63,010

SCHEDULE 12

ESTABLISHMENT COSTS

	1991-92 (Rs.)	1990-91 (Rs.)
Salary and Allowances	83,66,618	71,66,626
Staff Welfare	6,50,398	5,23,938
Contribution to Provident Fund	3,89,025	3,60,880
Gratuity	-	2,94,635
Pension	3,39,570	4,20,629
	97,45,611	87,66,709

SCHEDULE 13

COMMUNICATION EXPENSES

	1991-92 (Rs.)	1990-91 (Rs.)
Postage and Telegrams	9,77,841	9,39,225
Telephone, Telex and Intercom	4,47,761	3,04,742
	14,25,602	12,43,967

SCHEDULE 14

OTHER EXPENSES

	1991-92 (Rs.)	1990-91 (Rs.)
Advertisement and Publicity	82,971	86,859
Bank Charges	19,861	25,451
Electricity and Water	3,39,113	2,08,797
Insurance	14,934	13,625
Rent, Rates and Taxes	2,00,448	1,38,131
Repairs and Maintenance :		
— Building	1,47,937	57,085
— Others	1,45,040	1,16,707
Legal	91,681	33,263
Motor Car Expenses	58,274	60,008
Office Expenses	2,16,906	1,07,623
Computerisation	1,63,694	1,58,818
Payment to Auditors :		
— Statutory Audit	15,000	10,000
Meetings	54,539	63,292
Packing, Cartage and Freight	1,89,559	1,59,525
Loss on Sale/Disposal of Assets	1,690	—
	17,41,647	12,38,582

SCHEDULE 15

ACCOUNTING POLICIES

1. Entrance fee from fellow and associate members is capitalised when received.
2. Direct donations and contributions by Regional Councils/Chapters towards the cost of land and buildings are credited to Building Reserve. Funds actually utilised towards purchase of land/construction of buildings are transferred to General Reserve.
3. Interest earned on investment of building funds as a part of overall investment of funds is calculated on the basis of average funds available during the year and credited to Building Reserve.
4. Fees received from students is accounted for on receipt basis except registration fee which is taken to income equally over a five year period.
5. Inventories of paper, publications and study materials are valued at cost.
6. Investments are valued at cost.
7. Depreciation on fixed assets is charged on written down value basis at the following rates :

Buildings	5%
Furniture & Fixtures	10%
Airconditioners/coolers, Computers and other equipments	15%
Library Books	20%
Vehicles	20%
Sheds	33.33%

Depreciation on additions is charged for the full year.

8. Provision for Pension is made on the basis of actuarial valuation. Accumulated funds are invested in Bonds of Public Sector Undertakings along with surplus funds of the Institute without separate identification.
9. Contribution to Gratuity Trust are made in accordance with the Group Gratuity Scheme of the Life Insurance Corporation of India.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993